



This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
<http://rajpatrahimachal.nic.in>

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

बुधवार 15 मार्च, 2017 / 24 फाल्गुन, 1938

हिमाचल प्रदेश सरकार

बहुउद्देशीय परियोजना एवं ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 7 मार्च, 2017

संख्या: एम. पी. पी.-एफ. (1)-1/2005-III.—विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 70 के अधीन गठित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 53 के साथ पठित धारा 177 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का

प्रयोग करते हुए, सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से सम्बन्धित उपायों का उपबन्ध करने के लिए विनियम अर्थात् केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति से सम्बन्धित उपाय) विनियम, 2010 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् “सी.ई.ए. रैग्यूलेशनज” कहा गया है) विरचित किए हैं;

“सी.ई.ए. रैग्यूलेशनज” के विनियम 36 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 162 की उपधारा (1) के अधीन उपबन्धों के निबन्धनों के अनुसार समुचित सरकार, ऐसा कनेक्टेड लोड और वोल्टेज स्तर अधिसूचित करने के लिए सशक्त है जिससे ऊपर के लिए पन्द्रह मीटर से अधिक ऊँचाई वाली बहुमंजिला इमारतों के लिए निरीक्षण मुख्य विद्युत निरीक्षक से करवाया जाना अपेक्षित होगा;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, “सी.ई.ए. रैग्यूलेशनज” के विनियम 36 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 162 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचित करते हैं कि पन्द्रह मीटर से अधिक ऊँचाई वाली बहुमंजिला इमारतों में विद्युत आपूर्ति आरम्भ होने पर (कनेक्टेड लोड को ध्यान में रखे बिना) 440 वोल्ट से अधिक की वोल्टेज सप्लाई वाले सभी इन्स्टालेशनज का निरीक्षण मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा किया जाएगा।

परन्तु, 11 के.वी. से कम वोल्टेज सप्लाई के पन्द्रह मीटर से अधिक ऊँचाई वाले बहुमंजिला भवनों के स्वामी या प्रदायकर्ता या उपभोक्ता के पास के ऐसे इन्स्टालेशनज का मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा निरीक्षण करवाने, परीक्षण करवाने और प्रमाणन करवाने का विकल्प भी होगा।

यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

आदेश द्वारा,
तरुण श्रीधर,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (ऊर्जा)।

[Authoritative English text of this Department's Notification No. MPP-F(1)-1/2005-III Dated 7th March, 2017 as required under article 348 (3) of the Constitution of India.]

MPP & POWER DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 7th March, 2017

No. MPP-F(1)-1/2005-III.—Whereas, the Central Electricity Authority, constituted under section 70 of the Electricity Act, 2003, in exercise of the power conferred under section 177 read with section 53 of the Act *ibid*, has framed Regulations providing for measures relating to Safety and Electricity Supply namely the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010 (hereinafter referred to as “CEA Regulations”);

And whereas, in terms of the provisions under sub-section (1) of section 162 of the Act *ibid* read with Regulation 36 of “CEA Regulations” the appropriate Government is empowered to notify the connected load and voltage level above which the multi-storeyed buildings of more than fifteen meters in height will be required to be inspected by the Chief Electrical Inspector;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 162 of the Act *ibid* read with Regulation 36 of “CEA Regulations”, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to notify that the installations of voltage supply above 440 Volts at the point of commencement supply (irrespective of the connected load) of multi-storeyed buildings of more than fifteen meters in height shall be inspected by the Chief Electrical Inspector:

Provided that the owner or supplier or consumer of multi-storeyed buildings of more than fifteen meters in height of voltage supply below 11 KV may also have the option to get such installation inspected, tested and certified by the Chief Electrical Inspector.

This Notification shall come into the force on the date of its publication in the official Gazette.

By order,
TARUN SHRIDHAR,
Addl. Chief Secretary (Power).

बहुउद्देशीय परियोजना एवं ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 7 मार्च, 2017

संख्या: एम. पी. पी.-एफ. (1)-1/2005-III.—विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 70 के अधीन गठित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 53 के साथ पठित धारा 177 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से सम्बन्धित उपायों का उपबन्ध करने के लिए विनियम अर्थात् केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति से सम्बन्धित उपाय) विनियम, 2010 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् “सी.ई.ए. रैग्यूलेशनज” कहा गया है) विरचित किए हैं;

“सी.ई.ए. रैग्यूलेशनज” के विनियम 32 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 162 की उपधारा (1) के अधीन उपबन्धों के निबन्धनों के अनुसार समुचित सरकार, ऐसी क्षमता अधिसूचित करने के लिए सशक्त है जिससे ऊपर की क्षमता वाली उत्पादन इकाइयों के लिए निरीक्षण राज्य में मुख्य विद्युत निरीक्षक से करवाया जाना अपेक्षित होगा;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, “सी.ई.ए. रैग्यूलेशनज” के विनियम 32 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 162 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचित करते हैं कि 10 के.वी.ए. से अधिक की क्षमता वाली उत्पादन इकाइयों (ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत उत्पादन करने वाली उत्पादन इकाइयों सहित) के इन्स्टालेशनज का निरीक्षण मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा किया जाएगा।

यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

आदेश द्वारा,
तरुण श्रीधर,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (ऊर्जा)।

[Authoritative English text of this Department's Notification No. MPP-F (1)-1/2005-III Dated 7th March, 2017 as required under article 348 (3) of the Constitution of India]

MPP & POWER DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 7th March, 2017

No. MPP-F(1)-1/2005-III.—Whereas, the Central Electricity Authority, constituted under section 70 of the Electricity Act, 2003, in exercise of powers conferred under section 177 read with

section 53 of the Act *ibid*, has framed Regulations providing for measures relating to Safety and Electricity Supply namely the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010 (hereinafter referred to as “CEA Regulations”);

And whereas, in terms of the provisions under sub-section (1) of section 162 of the Act *ibid* read with Regulation 32 of “CEA Regulations” the appropriate Government is empowered to notify the capacity above which the generating units will be required to be inspected by the Chief Electrical Inspector in the state;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 162 of the Act *ibid* read with regulation 32 of “CEA Regulations”, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to notify that the installations of generating units (including generating units producing electricity from renewable source of energy) of the capacity above 10 KVA shall be inspected by the Chief Electrical Inspector.

This Notification shall come into the force on the date of its publication in the official Gazette.

By order,
TARUN SHRIDHAR,
Addl. Chief Secretary (Power).

पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 27 फरवरी, 2017

संख्या:टी0एस0एम0एफ(1)-3/2013- II.—हिमाचल प्रदेश विविध साहसिक क्रियाकलाप नियम, 2016 के प्रारूप को हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम संख्यांक 15) की धारा 64 की अपेक्षानुसार जनसाधारण से आक्षेप (पों)/सुझाव (वों) को आमन्त्रित करने हेतु, अधिसूचना संख्या टी0एस0एम0एफ(1)-3/2013 तारीख 9 सितम्बर, 2016 द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 19 सितम्बर, 2016 को प्रकाशित किया गया था ;

और नियत अवधि के दौरान इस निमित्त कोई आक्षेप/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है/हुए हैं ;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम संख्यांक 15) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विविध साहसिक क्रियाकलाप नियम, 2017 है।

(2) ये नियम, राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**—(1) इन नियमों में जब तक कि कोई बात विषय या सन्दर्भ में विरुद्ध न हो,—

- (क) “अधिनियम” से हिमाचल प्रदेश रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम संख्यांक 15) अभिप्रेत है;
- (ख) “संगम” से हिमाचल प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2006 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई संगम अभिप्रेत है ;
- (ग) “कर्मिंदल के सदस्य” से प्रचालन आपरेशन में साथ चलने वाले गाइडों सहित ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जो विविध साहसिक क्रियाकलापों, जैसे कि रैपेलिंग, रिवर क्रॉसिंग, स्कीईंग, ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, हॉट एअर बैलूनिंग, जोरबिंग बॉल्ज, रोलिंग बॉल्ज, वाटर बॉल्ज, बंजी जंपिंग और जिपलाइन/फ्लाईंग फॉक्स, जॉय राईडज/फन पार्को का संचालन करते हैं;
- (घ) “प्ररूप” से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;
- (ङ) “अनुदेशक” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो, इन नियमों के प्रयोजनों के लिए, इस रूप में अर्हित और रजिस्ट्रीकृत है और विविध साहसिक क्रियाकलापों के निर्विघ्न और सुरक्षित समापन के लिए साथ में रहता है या उनका संचालन करता है ;
- (च) “विविध साहसिक क्रियाकलाप” से ऐसे साहसिक क्रियाकलाप, जैसे रैपेलिंग, रिवर क्रॉसिंग, स्कीईंग, ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, हॉट एअर बैलूनिंग, जोरबिंग बॉल्ज, रोलिंग बॉल्ज, वाटर बॉल्ज, बंजी जंपिंग और जिपलाइन/फ्लाईंग फॉक्स, जॉय राईडज/फन पार्कस या कोई अन्य ऐसा क्रियाकलाप, जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाए, अभिप्रेत हैं ;
- (छ) “ऑपरेटर” से ऐसा/ऐसे साहसिक क्रियाकलाप ऑपरेटर, चाहे वैयक्तिक, कम्पनी या संगम या सोसाइटी है/हैं, जो विविध साहसिक क्रियाकलापों, जैसे रैपेलिंग, रिवर क्रॉसिंग, स्कीईंग, ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, हॉट एअर बैलूनिंग, जोरबिंग बॉल्ज, रोलिंग बॉल्ज, वाटर बॉल्ज, बंजी जंपिंग और जिपलाइन/फ्लाईंग फॉक्स, जॉय राईडज/फन पार्कस आदि का संचालन करने के लिए अधिनियम के अधीन इस रूप में रजिस्ट्रीकृत है, अभिप्रेत है/हैं;
- (ज) “प्रचालन” (आपरेशन) से विविध साहसिक क्रियाकलापों के लिए की जाने वाली आमोद-यात्रा (ट्रिप) या इसके संचालन के लिए कोई कार्य अभिप्रेत है ;
- (झ) “सहभागी” से ऐसा/ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है/हैं जो विविध साहसिक क्रियाकलापों में सहभागी होता है/होते हैं ;
- (ञ) “सोसाइटी” से हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1968 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सहकारी सोसाइटी अभिप्रेत है;
- (ट) इन नियमों के प्रयोजन के लिए “उपयुक्त काल (सीजन)” से 15 जुलाई से 15 सितम्बर तक की अवधि, जिसके दौरान कोई भी रिवर क्रॉसिंग क्रियाकलाप अनुज्ञात किए/करवाए नहीं जाएंगे को अपवर्जित करके सम्पूर्ण वर्ष अभिप्रेत है; किन्तु लाहौल एवं स्पिति जिला में 15 जुलाई से 15 सितम्बर की अवधि के दौरान रिवर क्रॉसिंग क्रियाकलाप अनुज्ञात किए जा सकेंगे यदि मौसम अनुकूल हो;
- (ठ) “धारा” से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ; और
- (ड) “तकनीकी समिति” से नियम 8 के अधीन आयुक्त द्वारा गठित समिति अभिप्रेत है।

(2) समस्त अन्य शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके हैं।

अध्याय-2

रजिस्ट्रीकरण

3. विविध साहसिक क्रियाकलापों के ऑपरेटर के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन.—(1) विविध साहसिक क्रियाकलापों के रूप में कार्य करने का आशय रखने वाला कोई व्यक्ति, आगामी सीजन के लिए प्रत्येक वर्ष प्रथम जनवरी से पन्द्रह मार्च तक विहित प्राधिकारी के पक्ष में 2000/—रुपए के मांगदेय ड्राफ्ट सहित रजिस्ट्रीकरण के लिए प्ररूप -1 में विहित प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा। विहित प्राधिकारी इस प्रकार प्राप्त आवेदनों की प्रारम्भ में जांच करेगा और उन्हें तकनीकी समिति के समक्ष रखेगा जो प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल से पूर्व बैठक आयोजित करेगी और दस्तावेजों की संवीक्षा करने तथा उपस्करों का निरीक्षण करने गाइडों/अनुदेशकों की/का व्यावहारिक परीक्षा/शारीरिक परीक्षण संचालित करने और अन्तिम अनुमोदन प्रदान करने के लिए, समस्त अर्हित ऑपरेटरों को कम से कम 15 दिन का स्पष्ट नोटिस देकर तारीख, समय और स्थान नियत करेगी।

(2) सीजन के मध्य किसी भी ऑपरेटर को विविध साहसिक क्रियाकलाप संचालित करना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(3) यथास्थिति, ऑपरेटर (ऑपरेटरों) या गाइड (गाइडों) या अनुदेशक (अनुदेशकों) या सोसाइटी (सोसाइटियों), जिनका स्थानीय कार्यालय है और जिनका सुसंगत क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष का अनुभव है, को अधिनियम के अधीन हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग के पास रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा।

(4) विहित प्राधिकारी, तकनीकी समिति के अनुमोदन के पश्चात् सम्बद्ध ऑपरेटर को प्ररूप -3 में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करेगा जो इसके जारी करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा।

(5) विविध साहसिक क्रियाकलाप चलाने के लिए रजिस्ट्रीकृत ऑपरेटर से भिन्न किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई प्रचालन करना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक कि तकनीकी समिति का समाधान नहीं हो जाता कि ऑपरेटर के पास समस्त उपस्कर हैं और वह इन नियमों के अधीन अन्य अपेक्षाओं को पूर्ण करता है तथा उसका प्रस्ताव तकनीकी समिति द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित किया गया है/स्वीकृत (मंजूर) किया गया है।

4. अर्हताएं.—(1) किसी भी ऑपरेटर को विविध साहसिक क्रियाकलापों का प्रचालन करना तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके पास अर्हित गाइड/अनुदेशक न हों, और जब तक जिन्होंने सम्बद्ध क्रियाकलाप में कम से कम दो वर्ष के अनुभव और अपेक्षित मानदण्डों के साथ अच्छे ट्रेक रिकार्ड सहित अटल विहारी वाजपेयी पर्वतारोहण और सहबद्ध खेल संस्थान, मनाली हिमाचल प्रदेश या हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग या नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी या जवाहर पर्वतारोहण शीतकालीन खेल संस्थान, पहलगाम या किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य संस्थान से मेथड ऑफ इन्स्ट्रक्शनज का कोर्स न किया हो।

(2) किसी भी ऑपरेटर को स्कीईंग का प्रचालन करना तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके पास अर्हित गाइड/अनुदेशक न हों और जब तक जिन्होंने सम्बद्ध क्रियाकलापों में कम से कम दो वर्ष के अनुभव और अपेक्षित मानदण्डों के साथ अच्छे ट्रेक रिकार्ड सहित अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण और सहबद्ध खेल संस्थान, मनाली, हिमाचल प्रदेश या भारतीय स्कीईंग और पर्वतारोहण संस्थान गुलमर्ग या गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड, औली या जवाहर पर्वतारोहण और शीतकालीन खेल संस्थान पहलगाम या किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य संस्थान से मेथड ऑफ इन्स्ट्रक्शनज (स्कीईंग) का कोर्स न किया हो।

(3) किसी ऑपरेटर, जिसने किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य संस्थान से सम्बद्ध क्रियाकलाप में एडवान्स कोर्स किया है, को विविध साहसिक क्रियाकलाप के लिए इस रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जा सकेगा।

5. विविध साहसिक क्रियाकलापों/फन पार्कों के लिए आवेदन करने/रजिस्ट्रीकरण हेतु अपेक्षा.—संप्रवर्तक, जो आवेदन करने का आशय रखते हों, अपने आवेदन के साथ निम्नलिखित ब्योरे प्रस्तुत करेंगे,—

- (i) समस्त प्रकार के सम्बद्ध विविध साहसिक क्रियाकलाप के लिए बिल सहित उपस्कर का प्रकार, मेक तथा मॉडल। उपस्कर, प्रमाणन करने वाले अभिकरणों जैसे इण्टरनेशनल क्लाइंबिंग एण्ड माऊण्टेनेरिंग फेडरेशन (यूनयन इन्टेनैशनल डेस असोसिएशन डी' एलपनिज्म) कमेटी ऑफ यूरोपियन नार्मज (सी.ई.एन.), भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) या इण्टरनेशनल ऑरगेनाइजेशन फॉर स्टैंडराइजेशन (आई.एस.ओ.) द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित किया जाएगा।
- (ii) डिजाइन/भार वहन क्षमता, आयुष्य और इसके सुरक्षित प्रचालन के लिए कितने समय में मरम्मत अपेक्षित है। राइडज/उपस्करों को स्थापित करने की अनुज्ञा के पश्चात् सम्बद्ध आवेदक या संप्रवर्तक तकनीकी समिति से अंतिम निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करेगा। कोई भी फन पार्क तब तक जनसाधारण के लिए नहीं खोला जाएगा जब तक कि इसे तकनीकी समिति द्वारा स्वीकृति (मंजूरी) न दे दी गई हो; और
- (iii) तकनीकी समिति द्वारा उपस्कर का त्रैमासिक निरीक्षण करना अनिवार्य होगा और समिति को क्रियाकलापों के अस्थायी रूप से बंद करने के आदेश देने की शक्तियां होंगी। यदि वांछित सुरक्षा मापदण्ड पूर्ण नहीं होते हैं तो समिति इसके स्थायी रूप से बन्द करने की सिफारिश कर सकेगी।

6. गाइड/अनुदेशक का रजिस्ट्रीकरण.—(1) गाइड या अनुदेशक के रूप में विविध साहसिक क्रियाकलाप (क्रियाकलापों) में सहभागी होने का आशय रखने वाला कोई व्यक्ति, विहित दस्तावेजों/और विहित प्राधिकारी के पक्ष में केवल 2000/— रूपए (दो हजार रूपए) के मांगदेय ड्राफ्ट सहित रजिस्ट्रीकरण के लिए विहित प्राधिकारी को प्ररूप-2 में आवेदन करेगा। सम्बद्ध क्षेत्र का विहित प्राधिकारी अपना पूर्णतया यह समाधान हो जाने पर कि आवेदक रजिस्ट्रीकरण के लिए अपेक्षित अर्हताओं और मानदण्डों को पूर्ण करता है और उसके आवेदन की तकनीकी समिति ने भी सिफारिश की है, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करेगा जो इसके जारी करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा।

(2) विहित प्राधिकारी, विविध साहसिक क्रियाकलाप ऑपरेटर के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए ई-मेल के माध्यम से आवेदन स्वीकार कर सकेगा और ई-मेल के माध्यम से अभिस्वीकृति दे सकेगा और यदि उसका आवेदन अधिनियम के अधीन यथा अपेक्षित समस्त प्रकार से पूर्ण है तो उसे विविध साहसिक क्रियाकलाप ऑपरेटर के रूप में रजिस्ट्रीकृत कर सकेगा। विहित प्राधिकारी, ई-मेल के माध्यम से आवेदन स्वीकार करने की दशा में, नियम-3 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र को जारी करते समय रजिस्ट्रीकरण फीस स्वीकार कर सकेगा।

7. गाइड/अनुदेशक के लिए अर्हता.—(1) गाइड/अनुदेशक की आयु इक्कीस वर्ष अवश्य होनी चाहिए और चिकित्सा अधिकारी द्वारा यथा प्रमाणित चिकित्सक दृष्टया योग्य होना चाहिए। उसके पास सरकारी अस्पताल या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान के चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी वैध बुनियादी फर्स्ट ऐंड और काडिर्यो पल्मनेरी रिससिटेशन (सी.पी.आर.) या इसके समतुल्य प्रमाणपत्र अवश्य होना चाहिए। उसमें हिन्दी और अंग्रेजी में विचार आदान-प्रदान करने की अच्छी दक्षता होनी चाहिए।

(2) विविध साहसिक क्रियाकलाप के लिए अनुदेशक ने भारत में किसी रजिस्ट्रीकृत या मान्यता प्राप्त पर्वतारोहण संस्थान जैसे अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण और सहबद्ध खेल संस्थान, मनाली, हिमाचल प्रदेश या हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग या नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी या किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य संस्थान या देश से बाहर के किसी संस्थान से पर्वतारोहण में अर्हित मेथडज ऑफ इन्स्ट्रक्शनज कोर्स या इसके समतुल्य कोर्स किया हो तथा स्कीईंग के साहसिक क्रियाकलाप के लिए अटल बिहारी पर्वतारोहण और सहबद्ध खेल संस्थान मनाली, हिमाचल प्रदेश या भारतीय स्कीईंग और पर्वतारोहण संस्थान, गुलमर्ग या गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड, औली या जवाहर पर्वतारोहण और शीतकालीन खेल संस्थान, पहलगाम या किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य संस्थान से मेथडज ऑफ इन्स्ट्रक्शनज कोर्स (स्कीईंग) अर्हित करने सहित सम्बद्ध क्रियाकलाप में कम से कम दो वर्ष का अनुभव और अपेक्षित मानदण्डों सहित अच्छा ट्रैक रिकार्ड होना चाहिए।

8. तकनीकी समिति का गठन.—आयुक्त, विविध साहसिक क्रियाकलापों जैसे रैपेलिंग, रिवर क्रॉसिंग, स्कीइंग, ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, हॉट एअर बैलूनिंग, जोरबिंग बॉल्ज, रोलिंग बॉल्ज, वाटर बॉल्ज, बंजी जंपिंग और जिपलाइन/फ्लाईंग फॉक्स, जॉय राईडज/फन पार्कस आदि का संचालन करने के लिए, अधिसूचना द्वारा, किसी क्षेत्र के लिए, तकनीकी समिति का गठन करेगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

- | | | |
|--------|---|-------------|
| (i) | निदेशक, अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण और सहबद्ध खेल संस्थान, मनाली या उसका प्रतिनिधि | अध्यक्ष, |
| (ii) | सम्बद्ध क्षेत्र का उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) या उसका प्रतिनिधि | सदस्य, |
| (iii) | सम्बद्ध क्षेत्र का उप पुलिस अधीक्षक | सदस्य, |
| (iv) | सम्बद्ध क्षेत्र का वन मण्डल अधिकारी या उसका प्रतिनिधि | सदस्य, |
| (v) | सम्बद्ध क्षेत्र का मुख्य चिकित्सा अधिकारी या उसका प्रतिनिधि | सदस्य, |
| (vi) | अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण और खेल संस्थान, मनाली का अनुदेशक या उसका प्रतिनिधि | सदस्य, |
| (vii) | साहसिक क्रियाकलापों से सम्बद्ध दो सदस्य [संगम का एक सदस्य और सम्बद्ध रजिस्ट्रीकृत साहसिक क्रियाकलाप से एक सदस्य या कोई सुविज्ञ (जानकार सदस्य)], | सदस्य |
| (viii) | हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के सम्बद्ध क्षेत्र का अधिशासी अभियन्ता (मैकेनिकल) और | सदस्य, |
| (ix) | उप-निदेशक, पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन या जिला पर्यटन विकास अधिकारी और उसकी अनुपस्थिति में सम्बद्ध क्षेत्र का सहायक पर्यटन विकास अधिकारी | सदस्य सचिव। |

9. तकनीकी समिति के कृत्य.—तकनीकी समिति निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगी.—

- (i) नियम 3 और 4 के अनुसार सुरक्षा के दृष्टिकोण से ऑपरेटर द्वारा रखे गए उपस्कर का निरीक्षण करने और उसको प्रमाणित करने ;
- (ii) ऑपरेटर (ऑपरेटरों) और गाइड (गाइडों)/अनुदेशक (अनुदेशकों) के जीवन-वृत्त की जांच करने और उनकी सुविज्ञता (निपुणता) अभिनिश्चित करने के आशय से उनका शारीरिक परीक्षण करवाना और ऐसा करके ऑपरेटरों के साथ-साथ दोनों गाइड (गाइडों)/अनुदेशक (अनुदेशकों) को अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए अनुमोदन करने ;
- (iii) ऑपरेटर गाइड और अनुदेशक इन नियमों में उपदर्शित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा / करेंगे ;
- (iv) राज्य में विविध साहसिक क्रियाकलापों का प्रचालन करने के लिए नए स्थलों, नदियां, स्थानों और क्षेत्रों, जहां सुरक्षित रूप से प्रचालन किए जा सकते हैं, की पहचान करने ;
- (v) विविध साहसिक क्रियाकलापों के रूप में अन्य खेलों/क्रियाकलापों की पहचान करने और उनको अधिसूचित करने की संस्तुति करने ;
- (vi) रैपेलिंग/रिवर क्रॉसिंग, आश्रय बोल्ट (एन्करिज बोल्ट) और अन्य कृत्रिम जुड़नार (जुड़ाव की वस्तुओं) और उपस्कर का निरीक्षण करने और उनको प्रमाणित करने ;

- (vii) विहित प्राधिकारी द्वारा पर्यटकों/सहभागियों से प्रभारित की जाने वाली फीस की संस्तुति करने ;
- (viii) समय-समय पर नियमों में वर्णित विविध साहसिक क्रियाकलापों के सुरक्षित संचालन के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त और परामर्श (जानकारी) यदि कोई हो, जारी करने/देने ;
- (ix) ऑपरेटर (ऑपरेटर्स)/गाइड (गाइड्स)/और अनुदेशकों की चिकित्सक दृष्ट्या योग्यता का अवधारण करने ;
- (x) क्षेत्र के लिए वहन (परिवहन) क्षमता नियत करने ; और
- (xi) विविध साहसिक क्रियाकलापों का संचालन करने के लिए सही विस्तार क्षेत्र (स्ट्रेचिज) और स्थानों को अधिसूचित करने।

10. विनियामक समिति का गठन और इसके कृत्य.—आयुक्त (पर्यटन), अधिसूचनाद्वारा, प्रत्येक स्थल, नदी और प्रचालन क्षेत्र के लिए, निम्नलिखित सदस्यों से समाविष्ट, एक विनियामक समिति का गठन करेगा, अर्थात् :-

- | | |
|---|----------------|
| (i) सम्बद्ध जिला का उपायुक्त | अध्यक्ष, |
| (ii) सम्बद्ध जिला का पुलिस अधीक्षक | सदस्य, |
| (iii) सम्बद्ध क्षेत्र का उप-मण्डल मजिस्ट्रेट | सदस्य, |
| (iv) सम्बद्ध क्षेत्र का आदेशक गृह रक्षा | सदस्य, |
| (v) सम्बद्ध क्षेत्र का मुख्य चिकित्सा अधिकारी या उसका प्रतिनिधि | सदस्य, |
| (vi) अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण और सहबद्ध खेल संस्थान, मनाली का प्रतिनिधि | सदस्य, |
| (vii) हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के सम्बद्ध क्षेत्र का अधिशासी अभियन्ता (मैकेनिकल) | सदस्य, और |
| (viii) उप-निदेशक, पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन या जिला पर्यटन विकास अधिकारी और उसकी अनुपस्थिति में सहायक जिला पर्यटन और विकास अधिकारी | सदस्य
सचिव। |

11. विनियामक समिति के कृत्य.—विनियामक समिति निम्नलिखित कृत्यों का अनुपालन करेगी,—

- (i) विनियामक समिति, सम्बद्ध जिला के विविध साहसिक क्रियाकलापों के संगमों, यदि कोई हैं, की सहायता से क्षेत्र में प्रचालनों को विनियमित करने के लिए सम्पूर्ण नियन्त्रण रखेगी;
- (ii) विनियामक समिति प्रचालनों के दौरान, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन नियमों का अनुसरण किया जा रहा है, औचक निरीक्षण करेगी; और
- (iii) विनियामक समिति को सरकार द्वारा विविध साहसिक क्रियाकलापों के प्रचालन के सम्बन्ध में कोई अन्य कृत्य सौंपा जा सकेगा।

अध्याय-3

सुरक्षा उपाय

12. विविध साहसिक क्रियाकलाप के प्रचालनों के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित उपस्कर.—प्रत्येक ऑपरेटर को प्रचालन का कार्यान्वयन अनुज्ञात करने से पूर्व उसे निम्नलिखित उपस्कर (उपस्करों) की व्यवस्था करनी होगी। तकनीकी समिति उपस्कर (उपस्करों) की प्रत्येक मद (वस्तु) की जाँच करेगी और उसे सम्बद्ध क्षेत्र के उप-निदेशक, पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन या जिला पर्यटन विकास अधिकारी या सहायक पर्यटन विकास अधिकारी के माध्यम से स्टांपित करवाएगी, अर्थात्:—

(i) रैपेलिंग :

- (क) स्टान्स अच्छी तरह से सुरक्षित होनी चाहिए ;
- (ख) स्वच्छन्द संचलन के लिए स्थल पर पर्याप्त स्थान होना चाहिए ;
- (ग) उतरने के स्थल पर पर्याप्त स्थान होना चाहिए ;
- (घ) प्राथमिक उपचार पेटिका (फर्स्ट एड बाक्स) हर समय उपलब्ध होनी चाहिए ;
- (ङ) क्षेत्र, पत्थर/गिरने वाले शिला खण्ड एवं असंहत पत्थर रहित होना चाहिए ; और
- (च) मानक उपस्कर, भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस) या अन्तर्राष्ट्रीय मानक निर्मित, मॉडल, विनिर्माण करने के वर्ष, क्रय का वर्ष और अन्य तकनीकी विनिर्देशन वाला होना चाहिए। मानक उपस्कर निम्नलिखित विनिर्देशन का होना चाहिए :—

➤ क्लाइंबिंग रोप:—

- व्यास 10 से 11 मिलीमीटर।
- लम्बाई में 120 से 140 फुट।
- केरनामेण्टल रोप।
- न्यूनतम 800 किलोग्राम ब्रेकिंग स्ट्रेन्थ इण्टरनेशनल क्लाइंबिंग एण्ड माउण्टेनेरिंग फेडरेशन (यूनियन इण्टरनेशनल डेस एसोसिएशन डी' एल्पनिज्म) द्वारा प्रमाणित हो ।

➤ रैपेलिंग रोप :

- व्यास 8 से 10 मिलीमीटर।
- लम्बाई में 180 से 200 फुट।
- केरनामेण्टल रोप।
- न्यूनतम 600 किलोग्राम ब्रेकिंग स्ट्रेन्थ (इण्टरनेशनल क्लाइंबिंग एण्ड माउण्टेनेरिंग फेडरेशन (यूनियन इण्टरनेशनल डेस एसोसिएशन डी' एल्पनिज्म) द्वारा प्रमाणित हो) ।

➤ केराबीनीर:—

- स्कू गेट सहित जिरकाल एलॉए।
- 3000 किलोग्राम क्षमता ।
- इण्टरनेशनल क्लाइंबिंग एण्ड माउण्टेनेरिंग फेडरेशन (यूनियन इण्टरनेशनल डेस एसोसिएशन डी' एल्पनिज्म) द्वारा प्रमाणित हो ।

➤ **रैपेलिंग हीट हार्नेस :-**

- समायोज्य।
- गद्देदार नायलॉन सामग्री।
- इण्टरनेशनल क्लाइबिंग एण्ड माउण्टेनेरिंग फेडरेशन (यूनियन इण्टरनेशनल डेस एसोसिएशन डी' एल्पनिज्म) द्वारा प्रमाणित हो।

➤ **दस्ताने:-**

- तनने वाले नायलॉन और कैनवास सामग्री (कपड़े) सहित चमड़े की हथेली वाले

➤ **जूते :**

- रबर तलवे वाले

➤ **अष्ट आकृति (उतरने के लिए)**

- 2500 किलोग्राम ब्रेकिंग स्ट्रेन्थ से कम न हो।
- इण्टरनेशनल क्लाइबिंग एण्ड माउण्टेनेरिंग फेडरेशन (यूनियन इण्टरनेशनल डेस एसोसिएशन डी' एल्पनिज्म) द्वारा प्रमाणित हो।

➤ **वस्त्र:-**

- ढीले न हों, समुचित रूप से पहनने योग्य हों।

➤ **हेलमेट:-**

- भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) या अन्तर्राष्ट्रीय मानक।
- स्ट्रेप सहित, किसी रिसाव या किसी भाग की क्षति रहित, अच्छी स्थिति में अवश्य होना चाहिए।

(ii) **रिवर क्रॉसिंग/जिपलाइन/फ्लाइंग फॉक्स:-**

(क) जिपलाइन/फ्लाइंग फॉक्स के लिए दो रीतियां अर्थात् फ्लाइंग फॉक्स या टाइरोलीन पारगमन उपयोग में लाई जाती हैं। रस्सियां (रोपस), केरावाईनर्ज पुली/घिरनी तथा सीट हार्नेस सुरक्षित रूप से नदी पार करने में मुख्य भूमिका निभाती है। जिपलाइन/फ्लाइंग फॉक्स के लिए (नदी के ऊपर किनारों पर जोड़ी गई रस्सियां (रोपस)) इण्टरनेशनल क्लाइबिंग एण्ड माउण्टेनेरिंग फेडरेशन (यूनियन इण्टरनेशनल डेस एसोसिएशन डी' एल्पनिज्म), भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.)/अन्तर्राष्ट्रीय मानक चिन्ह वाले मानक के अनुसार केवल स्थिर कबला रस्सी का प्रयोग किया जाना चाहिए। यात्रियों/साहसिक कार्य प्रेमियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु पुली घिरनी खूँटी वाली रस्सी सहित इण्टरनेशनल क्लाइबिंग एण्ड माउण्टेनेरिंग फेडरेशन (यूनियन इण्टरनेशनल डेस एसोसिएशन डी' एल्पनिज्म), ब्यूरो ऑफ इण्डियन स्टैंडर्ड्स (बी.आई.एस.)/अन्तर्राष्ट्रीय मानक चिन्ह वाली बृहत्तर आकार की होनी चाहिए। हेलमेट (टोप) अनिवार्य हैं जो किसी संभाव्य घटना की दशा में सिर को अधिकतम सुरक्षा प्रदान करता है। नदी के दोनों किनारों पर स्थिरक (एंकरज), चाहे कृत्रिम हो या प्राकृतिक, ठोस और अभेद्य होने चाहिए। व्यास की एक अतिरिक्त फाईबर कोर स्टील तार की रस्सी, जिसे फैलाव (विस्तार) और ले जाए जाने वाले भार के आधार पर सुरक्षा उपाय के रूप में चयनित किया जा सकेगा, होनी चाहिए। नदी पार करने वाला व्यक्ति इस तार के साथ बंधा होना चाहिए जो एक सुरक्षा उपाय के रूप में भी कार्य करेगी। अतिरिक्त स्टील तार रस्सी, जिसका फाईबर कोर न्यूनतम 12 मिलीमीटर व्यास का 6 ग 19 (12/6/1) या 6 ग 37 (18/12/6/1) का बना हो, भी उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। उपस्कर के निम्नलिखित विनिर्देशन होने चाहिए :-

- ऐंगकरिज ब्लाक गोल आधार वाले गर्डर सहित न्यूनतम 1.5 ग 1 ग 1 मीटर सी.सी (1 : 2 : 4) के आकार वाले भूमिगत बनाए जाने चाहिए।
- आधार, ऐंगकरिज ब्लाक से न्यूनतम 2 मीटर आगे होना चाहिए।
- अतिरिक्त रस्सियों को नियंत्रित करने के लिए सुसंगत भारतीय मानक कोड के सदृश न्यूनतम 8 नम्बर यू शिकंजो (कलैप) की व्यवस्था की जाए।
- समस्त पुलियां (घिरनियां) सुसंगत भारतीय मानक कोड के सदृश और नरम स्टील की बनी होनी चाहिए।
- उपलब्ध करवाई गई सिटकनियां (बोल्ट्स) उच्च लचीले (एच.टी.) ग्रेड की होनी चाहिए।
- नदी पार करने के कार्यकलापों में भाग लेते समय सभी गाइडों/सहभागियों के पास हर समय जीवन रक्षक जैकेटें होनी चाहिए। जैकेट की पर्याप्त उत्प्लावकता (न्यूनतम 6.14 किलोग्राम और अधिमान्य 9-10 किलोग्राम वाली होनी चाहिए) उचित प्रकार की आरामदेह फीतों आदि से युक्त व्यवस्थ सहित (यू0एस0 कोस्ट गार्ड टाइप-III या V/यूरोपियन मानक समिति (सी.ई.एन.)/भारतीय मानक ब्यूरो संगठन (आई.एस.ओ.) वाली अवश्य होनी चाहिए और जीवन रक्षक जैकेट ठीक प्रकार से पहनी जानी चाहिए। फुलाने योग्य जीवन रक्षक जैकेट और की होल टाइप की जीवन रक्षक जैकेट अनुज्ञात नहीं की जानी चाहिए। गाइडों को यह अवश्य सुनिश्चित करना होगा कि यात्रा प्रारम्भ करने से पूर्व जीवन रक्षक जैकेटें सुरक्षित रीति से कसकर बांधी गई हैं।
- हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जू मार्ग अधिनियम, 1968 के सुसंगत उपबन्धों का सर्वथा पालन करना होगा।

(iii) बंजी जंपिंग:—

- अनिवार्य अपेक्षा:— जम्प लाइन के सभी पार्ट दोहरे (डुपलिकेटेड) होने चाहिए। इसका फैलाव (विस्तार) बंजी के संयोजन से कूदने वाले (जम्पर) और रेखा (लाइन) के दूसरे अंतिम किनारे पर अवसंरचना के संयोजक तक हो। सामान्यतः कूदने वाले का एक संयोजन टखने के फीतों से और दूसरा शरीर या गद्दी के कवच (सीट हारनेस) के साथ होना चाहिए।
- उपस्कर:— बी एण्ड यू एल कवच (हारनेस), कारबाइनरज अच्छी बनावट वाले और इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त होने चाहिए। प्रतिष्ठित प्रदायक से पर्वतारोहण उपस्कर समुचित है और कारबाइनरज स्क्रू गेट टाइप के होने चाहिए।
- गुथी हुई रस्सियां:— कम से कम दो गुथी हुई रस्सियां उपयोग की जानी चाहिए और कूदने वाले के वजन से मेल खाती हों, वे भारी कार्य गुथी हुई रबर डोर या समरूप मानक प्रमाण बी. एस. 3 एफ 701991 विनिर्देशन वाली होनी चाहिए।
- बिना गुथी रस्सियां:— सामान्यतः एक बिना गुथी रस्सी पर्याप्त है क्योंकि इसकी संरचना में अन्तर्निहित प्रचुरता के कारण लगभग एक हजार व्यक्ति इकट्ठे रवाना होने के लिए खड़े होते हैं। प्रत्येक रस्सी किसी स्वतन्त्र प्राप्तिस्थान (स्ट्रोत) के परीक्षक से प्रमाणित होनी चाहिए और उसे कूदने वाले के वजन के अनुसार चुना जाना चाहिए।
- रस्सी लॉग बुक्स:— ऐसी लॉग बुक्स रखी जानी चाहिए, जिनमें अधिकतम भार, उचित प्रशिक्षण सूची का वर्णन हो जिसमें यह उपदर्शित किया गया हो कि कैसे कोई व्यक्ति सक्षमता के एक स्तर से अगले स्तर तक प्रगति करता है।

- सम्पूर्ण प्रभारी व्यक्ति:— सम्पूर्ण प्रभारी व्यक्ति को स्थल पर सूक्ष्म निरीक्षण रखना चाहिए। दर्शकों को, उनकी सुरक्षा के लिए और प्रचालकों की अन्यमनस्कता को निवारित करने के लिए, कूदने के स्थान (जंप-जोन) से वर्जित करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।
 - कोई भी प्रभारी इसके साथ सुरक्षित रूप से सम्बद्ध होना चाहिए। विशेषतः दर्शक द्वारा तेरह वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा सवारी करना हत्तोसाहित किया जाना चाहिए।
 - दिन प्रारम्भ होने पर इसकी सुव्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पूरी लाइन का डेड वेट ड्राप टेस्ट होना चाहिए।
- (iv) **हॉट एअर बैलूनिंग:**— जहाँ किसी प्रकार के एअरक्राफ्ट, बैलून, ग्लाइडर आदि के साहसिक क्रियाकलाप आयोजित किए जाने हैं, के लिए महानिदेशक नागरिक विमानन (डी.जी.सी.ए.) से समुचित मंजूरी (स्वीकृति) अवश्य प्राप्त की जानी अपेक्षित है और इण्डियन एअर फोर्स आईडेंटिफिकेशन एजेन्सीज (ए.डी.आई.ए.) की अधिसूचना अनिवार्य है। ऐसे क्रियाकलापों का प्रचालन करने के लिए मंजूरी/अनुज्ञप्ति से पूर्व निम्नलिखित को महत्व दिया जा सकेगा:—
- नोटम (एन.ओ.टी.ए.एम.):—उड़ान/वायु साहसिक क्रियाकलापों का संचालन करने के लिए सम्बद्ध नागरिक विमानन अभिकरणों जैसे डी.डी.सी.ए. को सूचित करना अनिवार्य होगा ताकि उड़ान क्रियाकलापों के सुरक्षित और सुगम संचालन के लिए उड़ान क्रियाकलापों की प्रकृति ज्ञात की जा सके।
 - एअर डिफेंस आईडेंटिफिकेशन एजेन्सी (ए.डी.आई.ए.) की मंजूरी (स्वीकृति):—एसे आपरेटरों/उड़ान स्कूलों/वायु साहसिक क्लबों के लिए उनकी उड़ान योजना की सम्बद्ध एअर डिफेंस आईडेंटिफिकेशन एजेन्सी (ए.डी.आई.ए.) को, ऊँचाई, उड़ान की अवधि, प्रचालन के क्षेत्र आदि के लिए वायु सुरक्षा मंजूरी (स्वीकृति), आकाशी पिण्ड की तुरन्त पहचान और उड़ान सुरक्षा के जोखिम के बिना कारगर वायु उड़ान स्थल प्रबन्धन के समस्त ब्यौरों सहित, सूचना देने की अपरिहार्य/अनिवार्य अपेक्षा होगी।
- (v) **जॉय राइड्स वाले फन पार्कों के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त :**—सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए त्रैमासिक आधार पर उपस्करों की जांच करने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की एक पृथक् उप-समिति बनाई जाएगी:—
- | | |
|--|---------------|
| (क) सम्बद्ध उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) | अध्यक्ष |
| (ख) हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के सम्बद्ध क्षेत्र के अधिशासी अभियन्ता (मैकेनिकल) का प्रतिनिधि | सदस्य |
| (ग) पुलिस विभाग से एक प्रतिनिधि जो सहायक उप-निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो | सदस्य |
| (घ) उप-निदेशक, पर्यटन/जिला पर्यटन विकास अधिकारी/सहायक पर्यटन विकास अधिकारी | सदस्य
सचिव |
- (vi) अन्य साहसिक क्रीड़ाएं:— पहले से ही विद्यमान राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्ड लागू होंगे।
- (vii) परिचयकरण दौड़े:— प्रत्येक मौसम या नई नदियों/स्थलों पर वाणिज्यिक प्रचालन से पूर्व एक या दो परिचयकरण दौड़ों की सिफारिश की जाती है। नदियां वाणिज्यिक रूप से बाढ़ के स्तर पर नहीं बह रही होनी चाहिए।

13. प्रचालन के दौरान चिकित्सा प्रसुविधाएं और अन्य प्रसुविधाएं उपलब्ध करवाना.—प्रचालक, प्रत्येक प्रचालन के दौरान कम से कम त्रिकोणीय पट्टियों, जीवाणूशून्य पैडज, गॉज रॉलर पट्टियों, दबाव वाली पट्टियों, प्राथमिक उपचार चिपकने वाली पट्टियों, खपचियों, कैचियों से सुसज्जित दो प्राथमिक उपचार किटें साथ रखेगा।

14. प्रचालक के कर्तव्य.—*प्रचालक का यह कर्तव्य होगा कि,—*

- (i) वह समस्त घटनाओं/दुर्घटनाओं के बारे में सम्बद्ध संगम/सम्बद्ध जिला प्रशासन/अध्यक्ष सम्बद्ध तकनीकी समिति/उप-निदेशक पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन या जिला पर्यटन विकास अधिकारी को तुरन्त रिपोर्ट करे ;
- (ii) वह यह सुनिश्चित करे कि कार्यकलाप सूर्य छिपने से एक घण्टा पूर्व या सांय 6:00 बजे से पूर्व, जो भी पूर्वतर हो, समाप्त हो जाएं ;
- (iii) वह रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञप्ति के प्रयोजन के लिए उपस्कर के विनिर्देशन सहित प्राप्त किए गए उपस्कर के विक्रय पत्र की प्रति उपलब्ध करवाए। इस दस्तावेज के अभाव में रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए प्रचालक को न विचारे ;
- (iv) वह पर्यावरण को स्वच्छ रखे ;
- (v) यह प्रचालक का उत्तरदायित्व होगा कि भाग लेने वाला (सहभागी) इन नियमों में अधिकथित मानदण्डों को सर्वथा पालन करे ;
- (vi) वह विविध साहसिक क्रियाकलापों के प्रारम्भ से पूर्व भाग लेने वाले (सहभागियों) के लिए न्यूनतम 2.00 लाख रुपए का बीमा सुनिश्चित करे;
- (vii) वह इन नियमों में विहित प्ररूप में अतिथि /आगुन्तक रजिस्टर का अनुरक्षण करे और उसे अपने पास रखें ;
- (viii) वह प्रयुक्त उपस्करों और सहभागियों के नाम की प्रविष्टि के लिए उप-निदेशक पर्यटन/जिला पर्यटन विकास अधिकारी/सहायक पर्यटन विकास अधिकारी या उसके द्वारा सम्बद्ध जिला के प्राधिकृत अधिकारी/पदधारी द्वारा प्रमाणित सम्यक् रूप से दोहरे नम्बर से (डूप्लीकेट) संख्याकित बिल बुक/लॉग बुक को अनुरक्षित रखे। सम्प्रवर्तक द्वारा उपस्कर के निरीक्षण, इसकी सफाई-धुलाई, मरम्मत और बदलने आदि के ब्यौरों की बाबत लॉग बुक को प्रतिदिन बनाए रखा जाना चाहिए ;
- (ix) वह स्वागत काउण्टर पर एक शिकायत/सुझाव पुस्तिका का अनुरक्षण करे और उसे अपने पास रखे ;
- (x) वह संदाये/अग्रिमों की प्राप्ति के लिए सम्यक् रूप से दोहरे नम्बर (डूप्लीकेट) से संख्याकित रसीद बुक का अनुरक्षण करे;
- (xi) वह बिल बनाए और कम्प्यूटर पर अभिलेख का अनुरक्षण करे तथा उसकी एक सोफ्ट प्रति अभिलेख और निरीक्षण हेतु रखे ;
- (xii) वह विहित प्राधिकारी या उसके प्रतिनिधि द्वारा समस्त बिल पुस्तकों और रजिस्ट्रों को सम्यक् रूप से सत्यापित करवाए ;
- (xiii) वह प्ररूप 4 के अनुसार सरकार को क्षतिपूर्ति बंध पत्र प्रस्तुत करे ; और
- (xiv) वह प्ररूप 5 के अनुसार भागीदार से बंध पत्र प्राप्त करे ।

15. रजिस्ट्रीकरण फीस और उपयोक्ता फीस (यूजर्स फीस) का संग्रहण.—प्रचालक, प्रचालन प्रारम्भ करने से पूर्व निम्नलिखित फीस का संदाय करेगा/करेंगे,—

- (i) उपयोक्ता फीस (यूजर्स फीस) 1500/— रूपए प्रतिवर्ष ; और
- (ii) प्रति गाइड/अनुदेशक फीस 1000/— रूपए प्रतिवर्ष ।

16. उप-मण्डल स्तर पर, उप-मण्डल विविध साहसिक क्रियाकलाप संगम के नाम और अभिनाम से संगम बनाना.—आयुक्त, निम्नलिखित में से सरकार के दो नामनिर्देशितीयों को सम्मिलित करके प्रत्येक उप-मण्डल के लिए उप-मण्डल विविध साहसिक क्रियाकलाप संगम के नाम और अभिनाम से उप-मण्डल स्तर पर एक संगम बना सकेगा,—

- (i) सम्बद्ध उप-मण्डल का उप मण्डल मजिस्ट्रेट या तहसीलदार अध्यक्ष ;
- (ii) सम्बद्ध उप-मण्डल का उप पुलिस अधीक्षक या उसका प्रतिनिधि जो सदस्य ;
उप-निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो
- (iii) जिला पर्यटन विकास अधिकारी या सहायक पर्यटन विकास सदस्य सचिव; और
अधिकारी

अन्य सदस्य इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रचालकों में से लिए जाएंगे। उपर्युक्त संगम के सदस्य बनने के लिए समस्त प्रचालकों को इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत होना अनिवार्य होगा।

17. उप-मण्डल विविध साहसिक क्रियाकलाप संगम के कृत्य.—उप मण्डल विविध साहसिक क्रियाकलाप संगम सुनिश्चित करेगा कि,—

- (i) समस्त विविध साहसिक क्रियाकलापों का संचालन निर्विघ्न, सुरक्षित और सुविधाजनक रूप में हो ;
- (ii) उप-मण्डल विविध साहसिक क्रियाकलाप संगम एक स्वतः विनियामक निकाय के रूप में कार्य करे ;
- (iii) सहभागियों के समुचित मार्गदर्शन के लिए हर समय सुरक्षा मानदण्डों का पालन हो रहा है;
- (iv) शास्ति अधिरोपित करने सहित व्यतिक्रमियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई हो ;
- (v) किसी दुर्घटना की दशा में, विविध साहसिक क्रियाकलाप के पर्यटकों /सहभागियों को चिकित्सा प्राथमिक उपचार सहित हर सम्भव सहायता और सहयोग प्राप्त हो ;
- (vi) आपातकाल की दशा में समय पर एम्बुलेंस, चिकित्सा प्रसुविधा और दुर्घटना (दुर्घटनाओं) से बचाव की व्यवस्था हो ;
- (vii) हर समय तकनीकी समिति और विनियामक समिति के साथ समुचित सम्पर्क बनाए रखा जाए ;
- (viii) निरीक्षण के प्रयोजन के लिए तकनीकी समिति और विनियामक समिति को हर सम्भव सहयोग (सहायता) उपलब्ध हो; और
- (ix) प्रचालकों, अनुदेशकों, गाइडों और विविध साहसिक क्रियाकलापों के प्रचालन में लगे अन्य सम्बद्ध कर्मचारिवृन्द का कल्याण सुनिश्चित हो।

प्ररूप-I

(नियम 3(1) देखें)

विविध साहसिक क्रियाकलाप ऑपरेटर के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

सेवा में,

उप-निदेशक,
(विहित प्राधिकारी)
पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन,
_____,
हिमाचल प्रदेश।

महोदय,

निवेदन है कि मुझे / हमें हिमाचल प्रदेश विविध साहसिक क्रियाकलाप ऑपरेटर नियम, 2017 के अधीन पर्यटन क्षेत्र में विविध साहसिक क्रियाकलाप ऑपरेटर(रों) के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जाए। इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित विशिष्टियां निम्न प्रकार से हैं:-

1. आवेदक का नाम
2. जन्मतिथि
3. स्थायी पता
4. पत्राचार हेतु पता
5. किए जाने वाले क्रियाकलापों को उपदर्शित करें:-
 - (i) रिवर क्रासइन्ग
 - (ii) जॉरबिंग बॉल
 - (iii) हॉट ऐअर बैलूनिंग
 - (iv) स्कींग
 - (v) ट्रैकिंग
 - (vi) रॉक क्लाइबिंग(पर्वतारोहण)
 - (vii) रोलिंग बॉल / वॉटर बॉल
 - (viii) बंजी जम्पिंग
 - (ix) जिपलाइन / फ्लाईंग फॉक्स
 - (x) जॉय राइड / फन पार्क (आमोद-प्रमोद उद्यान)
6. उपस्करों/मशीनों (मूल बिल/प्रमाण पत्र आदि सहित) का ब्यौरा।
7. हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के सम्बद्ध क्षेत्र के सहायक अभियन्ता (मैकनिकल) की उपयुक्तता रिपोर्ट (प्रतिलिपि संलग्न की जाए)।
8. सम्बन्धित क्षेत्र में (दो वर्ष का) अनुभव प्रमाण पत्र।
9. स्वतः नियोजन, यदि कोई हो।

10. सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित इस प्रभाव का शपथपत्र कि वह अधिनियम की धारा 29 के खण्ड (ख) और (ग) के अधीन वर्णित कोई निरर्हता नहीं रखता है।

भवदीय,

तारीख:

स्थान:

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम

पता

प्ररूप-2

(नियम 6(1) देखें)

विविध साहसिक क्रियाकलापों के प्रचालन में भाग लेने हेतु गाइड/अनुदेशक के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

सेवा में,

उप-निदेशक,
(विहित प्राधिकारी)
पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन,
.....,
हिमाचल प्रदेश।

महोदय,

निवेदन है कि मुझे हिमाचल प्रदेश विविध साहसिक क्रियाकलाप ऑपरेटर नियम, 2017 के अधीन पर्यटन क्षेत्र में विविध साहसिक क्रियाकलाप प्रचालन के लिए गाइड के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जाए। इस प्रयोजन हेतु अपेक्षित विशिष्टियां निम्न प्रकार से हैं :-

1. आवेदक का नाम
2. जन्मतिथि
3. स्थायी पता
4. पत्राचार हेतु पता
5. किए जाने वाले क्रियाकलापों को उपदर्शित करें:-
 - (i) रिवर क्रासइन्ग
 - (ii) जॉरबिंग बॉल
 - (iii) हॉट ऐअर बैलूनिंग
 - (iv) स्कींग
 - (v) ट्रैकिंग
 - (vi) रॉक क्लाइबिंग(पर्वतारोहण)
 - (vii) रोलिंग बॉल / वॉटर बॉल
 - (viii) बंजी जम्पिंग

- (ix) जिपलाइन / फ्लाईंग फॉक्स
(x) जॉय राइड / फन पार्क (आमोद-प्रमोद उद्यान)

6. रजिस्ट्रीकृत ऑपरेटर का नाम जिसके साथ सहयुक्त होना है / काम किया जाना है।
7. अनुभव प्रमाण पत्र।
8. शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र।
9. चिकित्सक दृष्ट्या योग्यता प्रमाण पत्र।
10. चरित्र प्रमाणपत्र और आवासीय प्रमाण पत्र।

भवदीय

तारीख:
स्थान:

आवेदक के हस्ताक्षर
नाम
पता

प्ररूप-3

(नियम 4(1) देखें)

पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग**विविध साहसिक क्रियाकलाप ऑपरेटर के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र**

संख्या:.....

तारीख

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमति / कुमारी पुत्र / पत्नी / पुत्री
श्री गांव डाकखाना तहसील जिला
हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी हिमाचल प्रदेश विविध साहसिक क्रियाकलाप नियम, 2017 के अधीन
से अवधि के लिए पर्यटन क्षेत्र में रजिस्ट्रीकृत किया गया है।

उप-निदेशक पर्यटन /
जिला पर्यटन विकास अधिकारी
(विहित प्राधिकारी)

प्ररूप-4

(नियम 14(xiii) देखें)
ऑपरेटर द्वारा क्षतिपूर्ति बंधपत्र

सेवा में,

उप-निदेशक,
(विहित प्राधिकारी)
पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन,
.....हिमाचल प्रदेश।

विषय.—ऑपरेटर द्वारा क्षतिपूर्ति बंधपत्र।

सब को ज्ञात हो कि मैं सुपुत्र श्री निवासी गांव डाकखाना तहसील जिला मैसर्ज का स्वत्वधारी जिसकारजिस्ट्रीकृत कार्यालय में है, ने समय-समय पर यथासंशोधित हिमाचल प्रदेशविविध साहसिक क्रियाकलाप नियम, 2017 के अधीन उप-निदेशक पर्यटन को स्थान पर क्रियाकलाप का प्रचालन करने के लिए अनुज्ञा प्रदान करने हेतु निवेदन किया है।

हिमाचल प्रदेश विविध साहसिक क्रियाकलाप नियम, 2017 की अपेक्षानुसार ऑपरेटर को, ऑपरेटर/गाइड के साथ-साथ पर्यटक को आपातकाल, दुर्घटना आदि की दशा में बचाव / चिकित्सा व्ययों पर उपगत किसी लागत से हिमाचल प्रदेश सरकार और पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग को क्षतिपूर्ति करना अपेक्षित है और हिमाचल प्रदेश सरकार ऐसे विविध साहसिक क्रियाकलापों के दौरान मृत्यु हो जाने, गंभीर और मामूली चोटें लगने की दशा में ऑपरेटर, गाइड या पर्यटक को किसी प्रतिकर को संदत्त करने को दायी नहीं होगी;

यह सबको ज्ञात हो कि मैं सुपुत्र निवासी उक्त अनुज्ञा प्राप्त करने पर हिमाचल प्रदेश सरकार और पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग को क्षतिपूर्ति करने के लिए यह क्षतिपूर्ति बंधपत्र निष्पादित कर रहा हूँ और समनुदेशित करता हूँ कि उक्त प्रसंविदाकार पक्षकारों ने संयुक्ततः और पृथक्तः अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं और उनके वारिस, निष्पादक, प्रशासक और समनुदेशिनी ऑपरेटर (सम्बद्ध) को इस अनुज्ञा को प्रदान करने पर, इसके निष्पादकों, प्रशासकों और समनुदेशिनीयों और इनकी सम्पदाओं और विधि या साम्या या अन्यथा, जो भी हो, से चल सम्पत्ति सभी समयों पर समस्त कार्रवाईयों, कार्रवाईयों के कारणों, वादों, कार्यवाहियों, लेखों, दावों, और माँगों के विरुद्ध हिमाचल प्रदेश सरकार और पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग, हिमाचल प्रदेश को सुरक्षित, प्रतिरक्षित और हानिरहित तथा क्षतिपूर्ति रखुंगा। ऑपरेटर, गाइड या पर्यटक की आपातकाल / दुर्घटना आदि की दशा में बचाव/चिकित्सा व्ययों आदि के मामलों में नुकसान और कारित प्रभारों और व्ययों के विरुद्ध और से, उक्त व्यक्तियों के कारण मृत्यु हो जाने, गंभीर और मामूली चोटें लगने की दशा में भी हिमाचल प्रदेश सरकार और पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग, हिमाचल प्रदेश को समस्त की बाबत, जो भी हो, क्षतिपूर्ति रखुंगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप श्री सुपुत्र ने तारीख को अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं/ थे। श्री सुपुत्र निवासी द्वारा हस्ताक्षरित, मुहरबन्द और परिदत्त किया गया।

साक्षी

(ऑपरेटर के हस्ताक्षर)

1.
(हस्ताक्षर)

नाम
पता

नाम

पता

2.
(हस्ताक्षर)

नाम

पता

स्थान:

तारीख:

प्ररूप-5

(नियम 14(xiv) देखें)

वचनबंध

मुझे सूचित किया गया है और मुझे जानकारी है कि विविध साहसिक क्रियाकलाप खतरनाक हो सकते हैं और इसके अन्तर्गत बहुत से जोखिम और खतरे रहते हैं जो दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सा प्रसुविधाओं के बिना प्राकृतिक शक्ति, दैवी घटना, कठिन मौसम परिस्थितियों में यात्रा के दौरान दुर्घटना के खतरों या बीमारी तक ही सीमित नहीं हैं, और शारीरिक प्रयास जिसके लिए मैं तैयार नहीं हो सकता हूँ और निष्क्रान्त कठिनाईयाँ जिनसे मुझे क्षति या निःशक्तता हो सकती है, के बारे में मुझे सूचित कर दिया गया है और मुझे इनके तथा अन्य अन्तर्निहित जोखिमों तथा प्रस्तावित यात्रा की जानकारी है और मैं स्वीकारता हूँ कि साहसिक कार्य के आनन्द यात्रा में मेरे भाग लेने (सहभागिता) के कारण घर जैसी सामान्य सुरक्षा और कार्य से परे है। अतः मैं हिमाचल प्रदेश राज्य और पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग को आपातकालीन/दुर्घटना आदि की दशा में बचाव/चिकित्सा व्ययों पर उपगत किसी व्यय से क्षतिपूर्ति करता हूँ। हिमाचल प्रदेश सरकार ऑपरेटर, गाइड या पर्यटक को कोई प्रतिकर संदत्त करने के लिए दायी नहीं होगी यदि ऐसे विविध साहसिक क्रियाकलाप में मेरे भाग लेने (सहभागिता) के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है या उन्हें गम्भीर या मामूली चोटें लग जाती हैं।

स्थान :
तारीख:
मुहर

हस्ताक्षर.....
सहभागी का नाम.....
पता
.....

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
मुख्य सचिव (पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन)।

[Authoritative English text of this Department Notification No TSM.F(1)-3/2013-II dated 27-2-2017 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India.]

TOURISM AND CIVIL AVIATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 27th February, 2017

No. TSM.F(1)-3/2013-II .—WHEREAS, the draft Himachal Pradesh Miscellaneous Adventure Activities Rules 2016 were published in the Rajpatra, Himachal Pradesh on 19-9-2016 vide Notification No.Tsm.F(1)-3/2013 dated 9-9-2016 for inviting objection(s) or suggestion(s) from the general public, as required under section 64 of the Himachal Pradesh Tourism Development and Registration Act, 2002 (Act No.15 of 2002) ;

AND WHEREAS, no objection(s) or suggestion(s) has been received in this behalf during the stipulated period;

NOW, therefore, in exercise of the powers conferred by section 64 of the Himachal Pradesh Tourism Development and Registration Act, 2002 (Act No.15 of 2002), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules, namely :—

CHAPTER-I**PRELIMINARY**

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Miscellaneous Adventure Activities Rules 2017.

(2) They shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Definitions.— (1) In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context,—

- (a) “**Act**” means the Himachal Pradesh Tourism Development and Registration Act, 2002 (Act No. 15 of 2002) ;
- (b) “**Association**” means a society registered under the Himachal Pradesh Societies Registration Act, 2006 ;
- (c) “**Crew Members**” mean the persons who conduct the Miscellaneous Adventure Activities like Rappelling, River Crossing, Skiing, Trekking, Rock Climbing, Hot Air Ballooning, Zorbing Balls, Rolling Balls, Water Balls, Bungee Jumping and Zipline/Flying Fox, Joy Rides /Fun Parks including the guides accompanying the operation ;
- (d) “**Form**” means a form appended to these rules;
- (e) “**Instructor**” means a person who, for the purposes of these rules, is qualified and registered as such and accompanies or conducts the operation of Miscellaneous Adventure Activity (s) for its/ their smooth and safe completion.;
- (f) “**Miscellaneous Adventure Activities**” means the adventure activities like Rappelling, River Crossing, Skiing, Trekking, Rock Climbing, Hot Air Ballooning, Zorbing Balls, Rolling Balls, Water Balls, Bungee Jumping and Zipline/Flying Fox, Joy Rides /Fun Parks, or any other such activity as notified by the Government from time to time ;
- (g) “**Operator**” means an Adventure Activity Operator(s) whether individual, company or an association or society which is registered as such under the Act for carrying out the Miscellaneous Adventure Activities like Rappelling, River Crossing, Skiing, Trekking, Rock Climbing, Hot Air Ballooning, Zorbing Balls, Rolling Balls, Water Balls, Bungee Jumping and Zipline/Flying Fox, Joy Rides /Fun Parks etc ;
- (h) “**Operation**” means a trip to be undertaken or the act for the conduct of Miscellaneous Adventure Activities ;
- (i) “**Participant**” means the person (s) who participates in Miscellaneous Adventure Activities ;
- (j) “**Society**” means a Co-operative society registered under the Himachal Pradesh Co-operative Societies Act, 1968 ;

(k) “season”, for the purpose of these rules, means whole of the year excluding the period from 15th July to 15th September during which no river crossing activities shall be permitted/undertaken; provided that river crossing activities may be permitted in Lahaul & Spiti District during the period from 15th July to 15th September, if the weather conditions permit to do so;

(l) “section” means a section of the Act ; and

(m) “Technical Committee” means the Committee constituted by the Commissioner under rule 8;

(2) All the other words and expressions used in these rules but not defined shall have the same meaning respectively as assigned to them in the Act.

CHAPTER-II

REGISTRATION

3. Application for registration of Miscellaneous Adventure Activities Operator: (1) Any person intending to act as an Miscellaneous Adventure Activities Operator may make an application in form-1 to the prescribed authority for registration alongwith demand draft of Rs.2000/- in favour of prescribed authority for the ensuing season from 1st of January to 15th of March each year. The prescribed authority shall scrutinize the applications, so received, initially and put up the same before the Technical Committee which shall hold the meeting before 15th of April each year and fix date, time and venue for the scrutiny, inspection of the documents and equipments, conducting practical/ physical tests of guides/ instructors and final approval by giving at least 15 days’ clear notice to all the qualified operators.

(2) No operator shall be permitted to operate Miscellaneous Adventure Activities in the middle of the season.

(3) The operator (s) or guide (s) or instructor (s) or societies (s), as the case may be, who have a local office and have at least two years’ experience in the relevant field shall be registered with the Tourism Department, Himachal Pradesh under the Act.

(4) The prescribed authority shall issue a Certificate of Registration in form-3 to the concerned operator after the approval of the Technical Committee for a period of three years from the date of issue.

(5) No person, other than an operator, registered for carrying out the Miscellaneous Adventure Activities shall be permitted to carry on any operation either directly or indirectly unless the Technical Committee is satisfied that the operator has all the equipments and fulfils other requirements under these rules and his proposal has been duly approved/cleared by the Technical Committee.

4. Qualifications.— (1) No operator shall be permitted to operate the Miscellaneous Adventure Activities unless he has qualified guides/instructors who have done methods of instruction course from Atal Bihari Vajpayee Institute of Mountaineering and Allied Sports, Manali, H.P. or Himalayan Mountaineering Institute, Darjeeling or Nehru Institute of Mountaineering, Utrakashi or Jawahar Institute of Mountaineering and Winter Sports, Pehlgam or any recognized National or State Institute with at least experience of two years in concerned activities and with required standards with good track record.

(2) No operator shall be permitted to operate the Skiing unless he has qualified guides/instructors who have done Methods of Instruction (Skiing) course from Atal Bihari Vajpayee Institute of Mountaineering and Allied Sports, Manali, H.P. or Indian Institute of Skiing and Mountaineering Gulmarg or Garhwal Mandal Vikas Nigam Limited, Auli or Jawahar Institute of Mountaineering and Winter Sports, Pehlgam or any recognized National or State Institute with at least experience of two years in concerned activities and with required standards with good track record.

(3) The operator who has done Advance Course in the concerned activity from any recognized National or State Institute, may be registered as such for Miscellaneous Adventure Activities.

5. Requirement for Applying/Registration for Miscellaneous Adventure Activities/ Fun Parks.—The promoters intending to apply shall submit following details with their applications,—

- (i) Type, Make, Model of the equipment for all types of Miscellaneous Adventure Activity concerned alongwith bills. The equipment shall be duly certified by the certifying agencies like the International Climbing and Mountaineering Federation (Union Internationale des Association d'Alpinisme), Committee of European Norms (C.E.N), Bureau of Indian Standards (B.I.S). or International Organisation for Standardisation (ISO);
- (ii) design/ load carrying capacity, Life and what periodic repairs are required for its safe operation. After permission to install the rides/ equipments, the applicant or promoter concerned shall obtain final inspection report from the Technical Committee. No Fun Park shall be opened to the public unless it is cleared by the Technical Committee; and
- (iii) quarterly inspection of the equipment by the Technical Committee shall be mamdatory and the Committee shall have the powers to order temporary closure of the activities. If desired safety standards are not met, the Committee may recommend its permanent closure.

6. Registration of Guide/ Instructor.— (1) Any person intending to participate in Miscellaneous Adventure Activity (ies) as a guide or an instructor, shall apply to the prescribed authority for registration alongwith prescribed documents/ and a demand draft of Rs. 2000/- (Rs. Two Thousand) only in favour of the prescribed authority in Form-2. After being fully satisfied that the applicant fulfils the requisite qualifications and standard for registration and his application has the recommendations of the Technical Committee, the prescribed authority of the area concerned shall issue a certificate of registration for a period of three years from the date of issue.

(2) The prescribed authority may accept the application for the registration as Miscellaneous Adventure Activities operator through e-mail and acknowledge through e-mail and also register him as Miscellaneous Adventure Activities operator if the application is complete in all respect as required under the Act. In case of acceptance of the application through e-mail, the prescribed authority may accept the registration fee at the time of issuance of the Registration Certificate under rule 3 .

7. Qualification of Guide/ Instructor.— (1) The guide/ instructor must be 21 years of age and should be medically fit as certified by the Medical Officer. He should also hold a valid basic First Aid and Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR) Certificate or equivalent issued by Medical

Officer of the Government Hospital or any recognized institution. He should have good communication skills in Hindi and English.

(2) The instructor for Miscellaneous Adventure Activities should have registered/ recognized Mountaineering Institutes in India i.e. Atal Bihari Vajpayee Institute of Mountaineering and Allied Sports, Manali, H.P. or Himalayan Mountaineering Institute, Darjeeling or Nehru Institute of Mountaineering, Uttarakashi or any recognized National or State institute or any institute abroad or its equivalent and for the adventure activity of Skiing should have qualified the Methods of Instruction Course (Skiing) from Atal Bihari Vajpayee Institute of Mountaineering and Allied Sports, Manali, H.P. or Indian Institute of Skiing and Mountaineering, Gulmarg or Garhwal Mandal Vikas Nigam Limited, Auli or Jawahar Institute of Mountaineering and Winter Sports, Pehlgam or any recognized National or State Institute with at least experience of **two** years in concerned activities and with required standards with good track record.

8. Constitution of the Technical Committee.—The Commissioner shall, by notification, constitute a Technical Committee for an area for conducting Miscellaneous Adventure Activities like Rappelling, River Crossing, Skiing, Trekking, Rock Climbing, Hot Air Ballooning, Zorbing Balls, Rolling Balls, Water Balls, Bungee Jumping and Zipline/Flying Fox, Joy Rides /Fun Parks etc. which shall consist of the following members, namely:—

- | | |
|--|------------------|
| (i) The Director, Atal Bihari Vajpayee Institute of Mountaineering & Allied Sports, Manali. or his representative. | Chairman, |
| (ii) The Sub-Divisional Officer(Civil) of area concerned or his/her representative. | Member, |
| (iii) The Deputy Superintendent of Police of area concerned | Member, |
| (iv) Divisional Forest Officer concerned or his/her representative. | Member, |
| (v) Chief Medical Officer of area concerned or his/her representative. | Member, |
| (vi) Instructor or representative of , Atal Bihari Vajpayee. Institute of Mountaineering & Allied. Sports, Manali. | Member, |
| (vii) Two members of related Adventure Activities (one member of the association and one member from Concerned registered adventure activity or any Knowledgeable member). | Members, |
| (viii) Executive Engineer (Mechanical) HPPWD, of the area concerned. | Member, |
| (ix) Deputy Director Tourism & Civil Aviation or District Tourism Development Officer And in his absence Assistant Tourism Developments Officer of the area concerned. | Member Secretary |

9. Functions of the Technical Committee:—The Technical Committee shall be responsible to,—

- (i) inspect and certify the equipment possessed by the operator from safety point of view as per rules 3 and 4 ;
- (ii) scrutinize the bio data of the operator (s) and guide (s)/ instructor (s) and to conduct their physical tests in order to ascertain their expertise and, by doing so, approve the issue of licence both to the operators as well as guide (s)/ instructor (s);
- (iii) ensure that the operator (s), the guide (s)/and instructor (s) **shall** follow the procedures indicated in these rules ;
- (iv) identify new sites, rivers, spots and areas for operation of Miscellaneous Adventure Activities in the State, where operations can safely be conducted;
- (v) identify and recommend the notification of other sports/activities as Miscellaneous Adventure Activities;
- (vi) Inspect & certify the artificial anchors for Rappelling, River Crossing, Anchorage bolts & other fixtures and the equipment;
- (vii) recommend the fee to be charged from the tourists/ participants by the prescribed authority ;
- (viii) issue guidelines and advisories, if any, for the safe conduct of the Miscellaneous Adventure Activities mentioned in the rules from time to time;
- (ix) determine the medical fitness of the operator (s)/ guide (s) /and instructors;
- (x) fix the carrying capacity of the area; and
- (xi) notify the exact stretches and places for the conduct of Miscellaneous Adventure Activities.

10. Constitution of Regulatory Committee and its functions:—The Commissioner (Tourism) shall, by notification, constitute a Regulatory Committee for each site, river and area of operation, consisting of the following members, namely:

- | | |
|--|-----------|
| (i) The Deputy Commissioner of the concerned District | Chairman, |
| (ii) Superintendent of Police of the concerned District | Member, |
| (iii) Sub-Divisional Magistrate of the concerned area | Member, |
| (iv) Commandant Home Guards of the concerned area | Member, |
| (v) Chief Medical Officer of the concerned District or his representative. | Member, |
| (vi) Representative of , Atal Bihari Vajpayee Institute of Mountaineering and Allied Sports, Manali. | Member, |

(vii) Executive Engineer (Mechanical), HPPWD, of the concerned area.	Member,
(viii) Deputy Director Tourism & Civil Aviation or District Tourism Development Officer and in his absence Assistant Tourism Development Officer.	Member Secretary

11. Functions of the Regulatory Committee.— The Regulatory Committee shall perform the following functions,—

- (i) the Regulatory Committee shall exercise the overall control for regulating the operations in the area with the assistance of the Miscellaneous Adventure Activities Associations, if any, of the district concerned;
- (ii) the Regulatory Committee may conduct surprise inspections during the operations to ensure that these rules are being followed; and
- (iii) the Regulatory Committee may be entrusted with any other function in relation to Miscellaneous Adventure Activities operation by the Government.

CHAPTER-III

SAFETY MEASURES

12. Equipment required for carrying out Miscellaneous Adventure Activities Operations.—Each operator shall arrange the following equipment (s) before he is permitted to carry out the operation. The Technical Committee shall check each item of equipment (s) and get the same stamped through the Deputy Director Tourism & Civil Aviation or District Tourism Development Officer or Assistant Tourism Development Officer of the area concerned, namely:—

(i) Rappelling:—

- (a) the stance should be well protected;
- (b) the site should have sufficient place for free movement ;
- (c) the landing site should have enough space;
- (d) the First-Aid box to be available all the time;
- (e) the area should be free from stone/ boulder falling & loose stones.; and
- (f) the standard equipment, **Bureau of Indian Standards (BIS)** or international standard should have the make, model, year of manufacturing, year of purchase and all other technical specifications. The standard equipment should be of the following specifications:—

Climbing Rope.—

- 10 to 11 mm in diameter.

- 120 to 140 feet in length.
- Kernamantle rope.
- Minimum 800 kg breaking strength (International Climbing and Mountaineering Federation (Union Internationale des Association d'Alpinisme) certified).

Rappelling Rope.—

- 8 to 10 mm in diameter.
- 180 to 200 feet in length.
- Kernamantle rope.
- Minimum 600 kg breaking strength International Climbing and Mountaineering Federation (Union Internationale des Association d'Alpinisme) certified).

Carabineer.—

- Zicral alloy with screw gate.
- 3000 kg strength.
- International Climbing and Mountaineering Federation (Union Internationale des Association d'Alpinisme) certified.

Rappelling Seat Harness.—

- Adjustable.
- Padded, nylon material.
- International Climbing and Mountaineering Federation (Union Internationale des Association d'Alpinisme) certified.

Gloves.—

- Leather palmed with stretch nylon and canvass material (cloth).

Foot Wear.—

- Rubber soled.

Figure of Eight (Descender).—

- Not less than 2500 kg breaking strength.
- International Climbing and Mountaineering Federation (Union Internationale des Association d'Alpinisme) certified.

Clothing.—

- Not loose, proper fit.

Helmet.—

- Bureau of Indian Standards (B.I.S) or International Standard.
- With strap, must be in good condition with no leakage or compartment damage.

(ii) River Crossing/ Zipline/ Flying Fox.—

- (a) For Zipline/ Flying Fox two methods are applied i.e. Flying Fox or Tyrolean Traverse. Ropes, carabiners pulley & seat harness play a major role to cross safely. For Zipline/

Flying Fox (ropes attached on the ends above the river) only static cabala rope should be used as per the standard of International Climbing and Mountaineering Federation (Union Internationale des Association d'Alpinisme), Bureau of Indian Standards (B.I.S), International standard mark. For commercial purpose, the pulley should be of larger size labeling labeling standard of International Climbing and Mountaineering Federation (Union Internationale des Association d'Alpinisme), Bureau of Indian Standards (B.I.S), International standard mark to ensure the safety of the tourists/ adventure lovers with a belay rope. Helmet is essential which provides maximum safety to the head in case of any eventuality. Anchors on both sides of the river, either artificial or natural must be solid or bomb proof. One extra fiber core steel wire rope of the diameter which can be selected on the basis of span & load to be carried should be provided as a safety measure. The person crossing the river should be attached to this wire rope also which act as a safety measure. Additional steel wire rope having fiber core of minimum 12 mm diameter of 6 x 19 (12/6/1) construction or 6 x 37 (18/12/6/1) has to be provided. The equipment should be of the following specifications:—

- the anchorage block should be made under ground with minimum size 1.5x1x1 m, C.C. (1:2:4) having anchorage girder with round footing.
- the abutment should be minimum 2 meters ahead of the anchorage block.
- minimum 8 Nos. U-clamps conforming to relevant Indian Standard Code be provided for holding additional rope.
- all pulleys must conform to relevant Indian Standard Code and made of mild steel.
- all bolts provided should be of High Tensile (HT) grade.
- all guides/ participants must have a life jacket on all times while participating in river crossing activity. The life jacket must have adequate buoyancy (minimum of 6.14 kg and preferable 9-10 kg), must be the proper type (U.S. Coast Guard type III or V/Committee of European Norms (C.E.N) / International Organisation for Standardisation (ISO) with a provision of ensuring a snug fit by straps etc. and the life jacket must be worn correctly. Inflatable life jacket and the 'Keyhole' type jackets should not be allowed. Guides must ensure that the life jackets are fastened in a secure manner before the start of trip.
- relevant provisions of Himachal Pradesh aerial Ropeway Act, 1968 are to be adhered to strictly.

(iii) Bungee Jumping.—

- **Essential Requirement.**— All parts of the jump line must be duplicated. This extends from the connection of the bungee to the jumper and the connection to the structure at the other end of the line. Normally the jumper should have an attachment to ankle straps and another to a body or seat harness.
- **Equipment.**— B&UL harness, karabiners should be of sound construction and suitable for this use. Mountaineering equipment from reputable suppliers is appropriate and karabiners should be of the screw gate type.
- **Braided Ropes.**— At least 2 braided ropes should be used and matched to the weight of the jumper, they should be to BS 3F 70 1991 specification for heavy duty braided rubber cord, or to a demonstrably similar standard.

- **Unbraided Ropes.**— Normally one unbraided rope is adequate because of the in-built redundancy from its structure of approximately one thousand individual stands bound together. Each rope should have an examiners certificate from an independent source and be selected according to the weight of the jumper.
- **Rope Log Books.**— Should be kept, describing maximum load, a proper training schedule showing how a person progresses from one level of competence to the next.
- **The person in overall charge.**— Should keep close control of the site. Arrangements should be made to exclude spectators from the jump zone for their own safety and to avoid distraction of the operators.
- Anyone in charge should be securely attached to it. Spectator riding especially by children below the age of 13 years should be discouraged.
- There should be a dead-weight drop test of the whole line at the beginning of the day to ensure its integrity.
- (iv) **Hot Air Ballooning.**— Adventure activity where any kind of aircraft, balloon, glider etc. is planned needs to have appropriate clearances from Director General of Civil Aviation (DGCA) and necessary notification to Indian Air Force Identification Agencies (ADIA) is mandatory. The following may be emphasized before clearance/ license to operate such activities are issued:—
 - **NOTAM.**— to conduct the flying/ air adventure activities it is mandatory to inform the concerned civil aviation agencies such as DGCA so that the nature of the flying activity may be known for safe and smooth conduct of flying activities.
 - **Air Defence Identification Agency Clearance:**—There is an inescapable requirement for such operators/ flying schools/ air adventure clubs to intimate their flight plan to concerned Air Defence Identification Agency (ADIA) with all necessary details—height, duration of flight, area of operation etc. for issue of Air Defence Clearance, prompt identification of the aerial object and effective airspace management without jeopardizing flight safety.
- (v) **Guidelines for Fun Parks having Joy Rides.**— For ensuring safety a separate Sub-Committee shall be formed to inspect the equipments on quarterly basis comprising of the following members:—
 - (a) Sub-Divisional Officer (Civil) concerned Chairman
 - (b) Representative of Executive Engineer, HPPWD Member (Mechanical) concerned area.
 - (c) Representative from Police Department Member not less than ASI
 - (d) Deputy Director Tourism /District Tourism Member Development Officer/Assistant Tourism Secretary Development Officer.
- (vi) Other Adventure Sports: -Already existing National/ International norms/ guidelines shall be applicable.
- (vii) Familiarization Runs: - One or two familiarization runs before operating commercially each season or on new rivers/ sites are recommended. Rivers should not be run commercially at flood levels.

13. Medical facilities and other facilities to be made available during operation.—

The operator during each operation shall carry two well-equipped first aid kits consisting of triangular bandages, sterile pads, gauze roller bandages, pressure bandages, first aid adhesive tape, splints, scissors, as a bare minimum.

14. Duties of Operator.- It shall be the duty of the operator.—

- (i) to report all incidents/ accidents immediately to the Association concerned/District Administration concerned/ Chairman, Technical Committee concerned / Dy Director Tourism & Civil Aviation or District Tourism Development Officer;
- (ii) to ensure that the activities finish one hour before sun set or 6.00 P.M. whichever is earlier;
- (iii) to provide copy of sale letter of the equipment procured alongwith specification of equipment for the purpose of Registration & License. In absence of this document, the operator may not be considered for the purpose of registration;
- (iv) to keep the environment clean;
- (v) It shall be the responsibility of the operator that the participant adhere strictly to the norms laid down in these rules;
- (vi) to insure the participants for minimum Rs. 2.00 lakh before commencing the Miscellaneous Adventure Activity (ies).
- (vii) to maintain and keep a Guest/ Visitor Register in the form prescribed in the Rule;
- (viii) to maintain Bill Book/ Log Book duly numbered in duplicate certified by the Deputy Director Tourism/ DTDO/ ATDO or his authorized officer/ official of the District concerned for entry of equipment used and name of participants shall be maintained. The Log Book should be maintained daily with regard to inspection of the equipment by promoter, its service, repair and detail of replacement etc;
- (ix) to maintain and keep a Complaint/ Suggestion Book at the reception counter;
- (x) to maintain a Receipt Book duly numbered in duplicate for receipt of payments/ advances;
- (xi) to do billing or maintains the record on computer and keep a soft copy of the same for record and inspection;
- (xii) to get all the bill books and registers duly verified by the prescribed authority or its representative;
- (xiii) to submit the Indemnity Bond to the Government as per Form-4; and
- (xiv) to get an undertaking from the participant as per Form-5.

15. Collection of Registration Fee and User Fee.— The operator (s) shall, pay the following fees before commencing the operations;

- (i) User Fee: Rs. 1500/- per year ; and
- (ii) Per Guide/ Instructor Fee : Rs. 1000/- per year.

16. Formation of association at sub divisional level under name and style of Sub Division Miscellaneous Adventure Activities Association.— The Commissioner shall form an association at the Sub Division level with the name and style of Sub Divisional Miscellaneous Adventure Activities Association for each Sub Division involving two nominees of the Government,—

- | | |
|--|---------------------|
| (i) Sub Divisional Magistrate of the Sub Division concerned or Tehsildar. | Chairman |
| (ii) Deputy Superintendent of Police of the Sub Division concerned or his representative not below the rank of a Sub- Inspector; | Member |
| (iii) District Tourism Development Officer Or Assistant Tourism Development Officer and Other members shall be taken from amongst the operators registered under these rules. It will be mandatory for all the operators registered under these rules to become a member of the aforesaid association. | Member
Secretary |

17. Function of the Sub Divisional Miscellaneous Adventure Activities Association.— The Sub Divisional Miscellaneous Adventure Activities Association shall ensure that,—

- (i) all the miscellaneous adventure activities are conducted smoothly, safely and conveniently;
- (ii) the Sub Divisional Miscellaneous Adventure Activities Association acts as a self regulatory body;
- (iii) all the safety norms for being adhered to all the time for proper guidance of the participants;
- (iv) a suitable action be taken against the defaulters including imposition of penalty;
- (v) all possible help and assistance including medical first-aid be extended to the tourists/ participants of the Miscellaneous adventure activities in case of an accident;
- (vi) Ambulance, medical facility and evacuation of casualty (ies) be arranged timely in case of emergency;
- (vii) proper liaison with the Technical Committee and Regulator Committee be maintained all the time;
- (viii) all possible assistance to the Technical Committee and the Regulatory Committee for the purpose of inspection be provided; and
- (ix) the welfare of the operators, instructors, guides and other concerned staff involved in conducting of miscellaneous adventure activities.

Form-1

(See rule 3(1))

Application for Registration of Miscellaneous Adventure Operator

To

The Deputy Director,
(Prescribed Authority)
Tourism & Civil Aviation,
_____, Himachal Pradesh.

Sir,

It is submitted that I/ we may be registered as Miscellaneous Adventure Activities Operator (s) under the Himachal Pradesh Miscellaneous Adventure Activities Rules, 2017 for _____ tourist area. The particulars required for the purpose are given hereunder:—

1. Name of the applicant _____
2. Date of birth _____
3. Permanent address _____

4. Address for the correspondence _____

5. Indicate the activities to be taken:—
 - (i) River Crossing
 - (ii) Zorbing Ball
 - (iii) Hot Air Ballooning
 - (iv) Skiing
 - (v) Trekking
 - (vi) Rock Climbing
 - (vii) Rolling Balls/ Water Balls
 - (viii) Bungee Jumping
 - (ix) Zipline/ Flying Fox
 - (x) Joy Rides/ Fun Parks
6. Detail of the Equipments/ Machines (including Original Bills/certificate etc.).
7. Fitness report of the Assistant Engineer, HP. PWD (Mechanical) of the area concerned (copy to be enclosed).
8. Experience certificate (one year) in the field.
9. Self employment, if any.
10. Affidavit, duly attested to the effect that he/she does not possess any disqualification mentioned under clause (b) and (c) of section 29 of the Act.

Yours faithfully,

Signature of the applicant

Name _____

Dated: _____

Place: _____

Address _____

Form-2

(See rule 6(1))

**Application for Registrations of Guide/ Instructor for participation in operation of
Miscellaneous Adventure Activities.**

To

The Deputy Director,
(Prescribed Authority)
Tourism & Civil Aviation,
_____,
Himachal Pradesh.

Sir,

I may request that I may be registered as a guide for operation of Miscellaneous Adventure Activities under the Himachal Pradesh Miscellaneous Adventure Activities Rules 2017 for _____ tourist area. The particulars required for the purpose are given here under:—

1. Name of the applicant _____
2. Date of birth _____
3. Permanent address _____
4. Address for the correspondence _____

5. Indicate the activities to be taken:—
 - (i) River Crossing
 - (ii) Zorbing Ball
 - (iii) Hot Air Ballooning
 - (iv) Skiing
 - (v) Trekking
 - (vi) Rock Climbing
 - (vii) Rolling Balls/ Water Balls
 - (viii) Bungee Jumping
 - (ix) Zipline/ Flying Fox
 - (x) Joy Rides/ Fun Parks
6. Name of the registered operator with whom to be associated/ to be worked with.
7. Experience certificate.

8. Educational Qualification Certificates
9. Medical Fitness Certificate
10. Character Certificate & Residential Proff

Yours faithfully,

Signature of the applicant

Name _____

Address _____

Date: _____

Place: _____

Form-3

(See rule 4 (1))

TOURISM & CIVIL AVIATION DEPARTMENT

Certificate of Registratio of Miscellaneous Adventure Activities Operator

No. _____ Dated: _____
This is to certify that Mr./ Sh. /Smt./ Kumari _____ Son/ Wife/ Daughter of
Sh. _____, permanent resident of Village _____ P.O.
_____, Tehsil _____, District _____, Himachal Pradesh
has been registered under the Himachal Pradesh Miscellaneous Adventure Activities Rules, 2017 in
_____ tourist area for the period w.e.f. _____ to _____.

Sd/-
Deputy Director Tourism/ DTDO
(Prescribed Authority).

Form-4

(See rule 14(xiii))

Indemnity Bond by the Operator

To

The Deputy Director,
(Prescribed Authority)
Tourism & Civil Aviation,

Himachal Pradesh.

Subject:— Indemnity Bond by the Operator.

TO ALL TO WHOM THESE PRESENTS shall come, I, _____ S/o. _____ R/o. Village _____, P.O. _____, Tehsil _____, District _____ proprietor of M/s. _____, having its registered office at _____ have approached to the Deputy Director, Tourism under H.P. Miscellaneous Adventure Activities Rules, 2017 as amended from time to time, to grant permission to operate _____ activities at _____;

AND WHEREAS, as per requirement of the H.P. Miscellaneous Adventure Activities Rules, 2017, the operator is required to indemnify the Government of Himachal Pradesh and Tourism & Civil Aviation Department from any cost to be incurred in rescue/ medical expenses in the case of emergency, accident etc. of the operator/ guide as well as the customer and the Government of Himachal Pradesh shall not be liable to pay any compensation to the operator, guide or to the customer in case of death, serious and minor injuries in such Miscellaneous Adventure Activities;

NOW, KNOW BY AND THESE PRESENT WITNESS THAT, I, _____ S/o. _____, R/o. _____ on receiving the said permission is executing this indemnity bond to indemnify the State Government of Himachal Pradesh and the Department of Tourism & Civil Aviation and assign that the said covenanting parties jointly and severally have set their hands and that their heirs, executors, administrators and assigns shall on granting this permission to (concerned) the operator, against all actions, causes of actions, suits, proceedings, accounts, claims and demands at all times save, defend and keep harmless and indemnified the Government of Himachal Pradesh and the Department of Tourism and Civil Aviation, H.P., its executors, administrators and assigns and each of their estates and effects from and whatsoever at law or an equity or otherwise, whatsoever, for or on account of the said permission in connection with the miscellaneous adventure activities on part of any person or persons whomsoever from and against damages and cause charges and expenses in respect of rescue/ medical expenses etc. in case of emergency/ accident etc. of the operator, guide or the customers, even in case of death, serious and minor injuries, indemnify the State Government of Himachal Pradesh and the Department of Tourism and Civil Aviation, Himachal Pradesh on all the accounts, whatsoever.

IN WITNESS WHEREOF the said Sh. _____ S/o. _____ R/o. _____ have had unto set his respective hands and seal this _____ day of _____ month, _____ year.

Signed, sealed and delivered by the said Sh. _____ S/o. _____ R/o. _____.

(Signature of the Operator),

Witnesses:

Name _____

1. _____,

Address _____

(Signature)

Name _____

Address _____

2. _____

(Signature)

Name _____

Address _____

Place: _____

Date: _____

Form-5

(See rule 14(xiv))

UNDERTAKING

I have been informed and I am aware that Miscellaneous Adventure Activities can be dangerous and include many risks and dangers, including but not limited to the hazards of travelling accident or illness in remote place, without medical facilities, force of nature, acts of God, extreme weather conditions, and physical exertion for which I may not be prepared and evacuation difficulties should I be injured or disabled I have been informed and I am aware of these and other inherent risks, and of the proposed trip and acknowledge that enjoyment of adventuring beyond normal safety of home and work is it part the reason for my participation on this trip.

I, therefore, indemnify the State of H.P. and Tourism & Civil Aviation Department from any cost to be incurred in rescue/ medical expenses in the case of emergency/ accident etc. The State of Himachal Pradesh shall not be held liable to pay any compensation to the operator, guide or to the customer in case of their death, serious and minor injuries on account of my participating in such Miscellaneous Adventure Activities.

Signature _____

Participant Name _____

Place: _____

Address _____

Date: _____

Seal

By order,
Sd/-

Chief Secretary (Tourism & Civil Aviation).

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 14 मार्च, 2017

संख्या: एल0एल0आर0-डी0(6)-24 / 2016-लेज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 07-03-2017 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 21) को वर्ष 2017 के अधिनियम संख्यांक 5 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,
(डा० बलदेव सिंह),
प्रधान सचिव (विधि)।

2017 का अधिनियम संख्यांक 5

हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2016

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 7 मार्च, 2017 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2016 है।

(2) यह 04 अक्टूबर, 2016 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. धारा 6 का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 6 के खण्ड (क) के परन्तुक में, “25” अंकों के स्थान पर “37” अंक रखे जाएंगे।

3. 2016 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 4 का निरसन और व्यावृत्तियाँ.—(1) हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2016 का एतद्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 5 of 2017

**THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (SECOND
AMENDMENT) ACT, 2016**

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 7TH MARCH, 2017)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (Act No. 13 of 1994).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal Corporation (Second Amendment) Act, 2016.

(2) It shall be deemed to have come into force on 4th day of October, 2016.

2. Amendment of section 6.—In section 6 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994, in clause (a), in the proviso, for the words “twenty five”, the words “thirty seven” shall be substituted.

3. Repeal of H.P. Ordinance No. 4 of 2016 and savings.—(1) The Himachal Pradesh Municipal Corporation (Second Amendment) Ordinance, 2016 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal any action taken or any thing done under the Ordinance so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला—2, 14 मार्च, 2017

संख्या: एल०एल०आर०—डी०(६)—२६/२०१६—लेज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 07-03-2017 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 23) को वर्ष 2017 के अधिनियम संख्यांक 4 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई—राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,
(डा० बलदेव सिंह),
प्रधान सचिव (विधि)।

2017 का अधिनियम संख्यांक 4

हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन अधिनियम, 2016

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 7 मार्च, 2017 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 13) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम.—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) (संशोधन) अधिनियम, 2016 है।

2. धारा 3 का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 2009 की धारा 3 की उपधारा (1) में खण्ड (xi) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(xii) अल्पकालिक खुली अभिगम प्रसुविधा और इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (आई. ई. एक्स.) से ऊर्जा प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं से, प्रति के. डब्ल्यू. एच. विद्युत शुल्क. —इक्यावन पैसे की दर से :”।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

ACT NO. 4 OF 2017

THE HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY (DUTY) AMENDMENT ACT, 2016

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 7TH MARCH, 2017)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Electricity (Duty) Act, 2009 (Act No. 13 of 2009).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Electricity (Duty) Amendment Act, 2016.

2. Amendment of section 3.—In section 3 of the Himachal Pradesh Electricity (Duty) Act, 2009, in sub-section (1), after clause (xi), the following clause shall be inserted, namely :—

“(xii) Consumers availing short term open access facility and availing power from Indian Energy Exchange (IEX) electricity duty per Kwh. - @51 paise.”.

**ब अदालत नरेश कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल,
जिला कांगड़ा**

किस्म मुकदमा.—दुरुस्ती नाम

तारीख पेशी : 20-03-2017

श्री प्रीतम चन्द पुत्र दुनिया, निवासी महाल मलकेहड, मौजा गढ़ जमूला, उप तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—प्रार्थना पत्र दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल मलकेहड, मौजा गढ़जमूला, उप तहसील थुरल।

ईशतहार मुस्त्री मुनादी :—

प्रार्थी श्री प्रीतम चन्द पुत्र दुनिया, निवासी महाल मलकेहड, मौजा गढ़ जमूला, उपतहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसका नाम आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र व राशन कार्ड में प्रीतम चन्द पुत्र दुनिया दर्ज है, व उसका विख्यात व सही नाम भी प्रीतम चन्द ही है। परन्तु राजस्व अभिलेख महाल मलकेहड, मौजा गढ़ जमूला, उप तहसील थुरल में उसका नाम प्रीतम चन्द के बजाए चिपलू गलत दर्ज हो गया है। अतः प्रार्थी अब अपने नाम की राजस्व अभिलेख महाल मलकेहड, मौजा गढ़जमूला, उप तहसील थुरल में चिपलू के बजाए दुरुस्ती करवा करके चिपलू उपनाम प्रीतम चन्द दर्ज करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए, ईशतहार अखबारी प्रकाशन, मुस्त्री मुन्यादी चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के नाम की राजस्व अभिलेख महाल मलकेहड, मौजा गढ़जमूला, उपतहसील थुरल में दुरुस्ती करवा करके चिपलू के बजाए चिपलू उपनाम प्रीतम चन्द पुत्र दुनिया दर्ज करवाने बारे किसी किस्म की आपत्ति या उजर हो तो वो तारीख पेशी 20-03-2017 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व नाम दुरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

यह ईशतहार आज दिनांक 20-02-2017 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
थुरल।

ब अदालत श्री नरेश कुमार, कार्याकारी दण्डाधिकारी थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकदमा नं0 : 2017

तारीख पेशी : 20-03-2017

श्री यशविन्दर सिंह पुत्र श्री लाभ सिंह, निवासी गांव लाहडू, डाकघर सालन व उप-तहसील थुरल, ग्राम पंचायत वलोह, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—जन्म व मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर ग्राम पंचायत वलोह में माता के नाम की जन्म प्रमाण पत्र में दुरुस्ती हेतु प्रार्थना—पत्र।

ईशतहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी :-

प्रार्थी श्री यशविन्दर सिंह पुत्र श्री लाभ सिंह, निवासी गांव लाहड़ू, डाकघर सालन व उप-तहसील थुरल, ग्राम पंचायत वलोह, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र मय ब्यान हल्फी पेश करते हुए आवेदन किया है कि उसकी माता का सही व विख्यात नाम श्याम लता है तथा उनके शैक्षणिक अभिलेख, आधार कार्ड, राशन कार्ड व पैन कार्ड में भी उसका नाम श्यामलता पत्नी लाभ सिंह ही है किन्तु न जाने कैसे जन्म व मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर ग्राम पंचायत वलोह में उसकी माता का नाम गलती से श्याम लता के बजाए स्नेहलता दर्ज हो गया है जिससे प्रार्थी की माता को दोहरे नाम की विसंगति के कारण व्यवहारिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः इस न्यायालय के माध्यम से प्रार्थी अपनी माता के नाम की जन्म पंजीकरण रजिस्टर ग्राम पंचायत वलोह में दुरुस्ती करके स्नेहलता के बजाए स्नेहलता उपनाम श्यामलता दर्ज करवाने का आदेश ग्राम पंचायत वलोह को जारी करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए, इस ईशतहार राजपत्र हि0 प्र0 व मुस्त्री मुनादी, चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उक्त प्रार्थी की माता का नाम की जन्म पंजीकरण रजिस्टर ग्राम पंचायत वलोह में दुरुस्ती करके स्नेहलता के बजाए स्नेहलता उपनाम श्यामलता दर्ज बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असातन या वकालतन तारीख पेशी 20-03-2017 को हाजिर अदालत होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त स्नेहलता के नाम की दुरुस्ती करके स्नेहलता के बजाए स्नेहलता उपनाम श्यामलता दर्ज करने के आदेश उप स्थानीय पंजीकार जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत वलोह को पारित कर दिया जाएगा।

ये ईशतहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 06-02-2017 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्याकारी दण्डाधिकारी,
थुरल, जिला कांगड़ा।

ब अदालत श्री नरेश कुमार, कार्याकारी दण्डाधिकारी थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 2017

तारीख पेशी : 20-03-2017

श्री कुलदीप चन्द पुत्र श्री परस राम, निवासी गांव हलूं डाकघर व उप-तहसील थुरल, ग्राम पंचायत थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत मृत्यु पंजीकरण हेतु प्रार्थना—पत्र।

ईशतहार व मुस्त्री मुनादी :-

श्री कुलदीप चन्द पुत्र श्री परस राम, निवासी गांव हलूं डाकघर व उप-तहसील थुरल, ग्राम पंचायत थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया व आवेदन

किया कि उसके भाई राजकुमार पुत्र परस राम की मृत्यु दिनांक 08-11-2016 को गांव हलूं, ग्राम पंचायत थुरल में हुई है। परन्तु अज्ञानतावश उसकी मृत्यु का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया गया है। अतः प्रार्थी इस न्यायालय के माध्यम से अपने भाई स्व० श्री राजकुमार की मृत्यु का पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत थुरल को जारी करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए, इस ईशतहार, मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उपरोक्त स्व० श्री राजकुमार पुत्र श्री परस राम की मृत्यु तिथि 08-11-2016 के पंजीकरण बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 20-03-2017 को हाजिर अदालत होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त स्व० श्री राजकुमार पुत्र परस राम की मृत्यु का पंजीकरण करने का आदेश उप स्थानीय पंजीकार जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत थुरल को पारित कर दिया जाएगा।

ये ईशतहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 09-02-2017 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्याकारी दण्डाधिकारी,
थुरल, जिला कांगड़ा।

ब अदालत नरेश कुमार, नायव तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल,
जिला कांगड़ा

किस्म मुकद्दमा.—दुरुस्ती नाम

तारीख पेशी : 22-03-2017

श्री विकास कौशल पुत्र बहादुर सिंह, निवासी महाल बटाहण, डा०, मौजा व उप तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि० प्र०) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—प्रार्थना पत्र दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल बटाहण, मौजा व उप तहसील थुरल।

ईशतहार मुस्त्री मुनादी :—

प्रार्थी श्री विकास कौशल पुत्र बहादुर सिंह, निवासी महाल बटाहण, डा०, मौजा व उप तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि० प्र०) ने एक प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसका नाम आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पहचान पत्र व शैक्षणिक अभिलेख में विकास कौशल पुत्र बहादुर सिंह दर्ज है, व उसका विख्यात व सही नाम भी विकास कौशल ही है। परन्तु राजस्व अभिलेख महाल बटाहण, मौजा व उप तहसील थुरल में उसका नाम विकास कौशल के बजाए विकास कुमार गलत दर्ज हो गया है। अतः अब प्रार्थी अपने नाम की राजस्व अभिलेख महाल बटाहण, मौजा व उप तहसील थुरल में दुरुस्ती करवा करके विकास कौशल पुत्र बहादुर सिंह के बजाए विकास कुमार उपनाम विकास कौशल पुत्र बहादुर सिंह दर्ज करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए, इस मुस्त्री मुन्यादी चस्पांगी व ईशतहार अखबारी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के नाम की राजस्व अभिलेख महाल बटाहण, मौजा व उपतहसील थुरल में विकास कुमार पुत्र बहादुर सिंह के बजाए दुरुस्ती करवा करके विकास कुमार उपनाम विकास कौशल पुत्र बहादुर सिंह दर्ज करवाने बारे किसी किस्म की आपत्ति या उजर हो तो वो तारीख पेशी 22-03-2017 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व नाम दुरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

यह ईशतहार आज दिनांक 15-02-2017 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
थुरल।

**In the Court of Shri Rohit Rathour, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub Divisional
Magistrate, Kullu, District Kullu, H.P.**

In the matter of :

1. Narender Kumar s/o Shri Nand Lal, resident of Village Khiuari, Post Office Rajgarh, Tehsil Balh, District Mandi, H.P. at present C/o Kaushal Anand Sharma at Village & Post Office Shamshi, Tehsil Bhunter, District Kullu, H.P.

2. Anita Kumari d/o Shri Om Prakash, resident of Village Mandav, Post Office Bassi, Tehsil Chachyot, District Mandi, H.P. at present C/o Kaushal Anand Sharma at Village & Post Office Shamshi, Tehsil Bhunter, District Kullu, H.P. . . Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Proclamation for the registration of Marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954.

Narender Kumar and Anita Kumari have filed an application on dated 18-02-2017 alongwith affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 13-02-2017 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Act, *ibid*.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or writing before this court on or before 18-03-2017. The objection received after 18-03-2017 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 18-02-2017 under my hand and seal of the court.

Seal.

ROHIT RATHOUR (HAS),
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Kullu, District Kullu, H.P.

ब अदालत श्री वेद प्रकाश सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कुल्लू,
जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

केस नंबर : 39/C.N.R/T/2017

केस दायर : 23-01-2017

तारीख फैसला : 25-03-2017

विरेन्द्र कुमार पुत्र श्री ढाले राम, निवासी धरमोट, डाकघर भेखली, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

राजस्व अभिलेख में नाम की दुरुस्ती करने बारे।

विरेन्द्र कुमार पुत्र श्री ढाले राम, निवासी धरमोट, डाकघर भेखली, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 का प्रार्थना पत्र वराए राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरुस्त करने बारे प्राप्त हुआ है, जिसके अनुसार प्रार्थी का नाम महाल धरमोट, सारी, गलू री सेरी, वलौहणी, वस्तोरी फाटी व कोठी सारी के राजस्व रिकॉर्ड में विरेन्द्र कुमार पुत्र श्री ढाले राम पुत्र श्री नन्दू राम के स्थान पर देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री ढाले राम पुत्र श्री नन्दू राम दर्ज है जो कि गलत दर्ज है प्रार्थी जिसकी दुरुस्ती करके विरेन्द्र कुमार पुत्र श्री ढाले राम करना चाहता है, इस सन्दर्भ में प्रार्थी द्वारा साक्ष्य के रूप में परिवार रजिस्टर की नकल व नकल जमाबंदी, आधार कार्ड की प्रति, राशन कार्ड की प्रति, पहचान पत्र की प्रति व दो पहचानकर्ताओं के ब्यान हल्फिया भी प्रस्तुत किए हैं।

अतः सर्वसाधारण को इस ईशतहार के द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष/सम्बन्धियों को विरेन्द्र कुमार पुत्र श्री ढाले राम पुत्र श्री नन्दू राम के नाम की दुरुस्ती को उपरोक्त उप महालों के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन दिनांक 25-03-2017 को अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। इसके पश्चात् कोई भी उजर व एतराज समायत न होगा और नियमानुसार उक्त नाम की राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती सम्बन्धी आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 08-02-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

वेद प्रकाश,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
कुल्लू, हि0 प्र0।

ब अदालत श्री वेद प्रकाश सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कुल्लू,
जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

केस नंबर : 40/C.N.R/T/2017

केस दायर : 26-12-2016

तारीख फैसला : 30-03-2017

दिनेश कुमार पुत्र श्री केशव राम पुत्र श्री भोलू, निवासी सेउबाग, डाकघर सेउबाग, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

राजस्व अभिलेख में नाम की दुरुस्ती करने बारे।

दिनेश कुमार पुत्र श्री केशव राम पुत्र श्री भोलू, निवासी सेउबाग, डाकघर सेउबाग, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 का प्रार्थना पत्र वराए राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरुस्त करने बारे प्राप्त हुआ है, जिसके अनुसार प्रार्थी का नाम महाल नैना सेरी, गाहर, सेउबाग, फाटी व कोठी काईस के राजस्व रिकॉर्ड में दिनेश कुमार पुत्र श्री केशव राम पुत्र श्री भोलू के स्थान पर खुशहाल चन्द पुत्र श्री केशवराम पुत्र श्री भोलू दर्ज है जो कि गलत दर्ज है प्रार्थी जिसकी दुरुस्ती करके दिनेश कुमार पुत्र श्री केशव राम पुत्र श्री भोलू करना चाहता है, इस सन्दर्भ में प्रार्थी द्वारा साक्ष्य के रूप में परिवार रजिस्टर की नकल व नकल जमाबंदी, आधार कार्ड की प्रति, राशन कार्ड की प्रति, पहचान पत्र की प्रति, स्कूल प्रमाण पत्र की प्रति भी प्रस्तुत की हैं।

अतः सर्वसाधारण को इस ईशतहार के द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष/सम्बन्धियों को दिनेश कुमार पुत्र श्री केशव राम पुत्र श्री भोलू के नाम की दुरुस्ती को उपरोक्त उप महालों के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन दिनांक 30-03-2017 को अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। इसके पश्चात् कोई भी उजर व एतराज समायत न होगा और नियमानुसार उक्त नाम की राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती सम्बन्धी आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 20-02-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

वेद प्रकाश,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
कुल्लू, हि0 प्र0।

ब अदालत श्री वेद प्रकाश सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कुल्लू,
जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

केस नंबर : 41/C.N.R/T/2017

केस दायर : 27-12-2016

तारीख फैसला : 30-03-2017

शम्मी कुमार पुत्र श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री दीनानाथ, निवासी व डाकघर पतलीकुहल तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

राजस्व अभिलेख में नाम की दुरुस्ती करने बारे।

शम्मी कुमार पुत्र श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री दीनानाथ, निवासी व डाकघर पतलीकुहल तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 का प्रार्थना पत्र वराए राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्त करने बारे प्राप्त हुआ है, जिसके अनुसार प्रार्थी का नाम मोहाल कांगती, फाटी व कोठी सारी के राजस्व रिकॉर्ड में शम्मी कुमार पुत्र श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री दीनानाथ के स्थान पर सम्पूर्ण देव पुत्र श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री दीनानाथ दर्ज है जो कि गलत दर्ज है प्रार्थी जिसकी दुरुस्ती करके शम्मी कुमार पुत्र श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री दीनानाथ करना चाहता है, इस सन्दर्भ में प्रार्थी द्वारा साक्ष्य के रूप में परिवार रजिस्टर की नकल व नकल जमाबंदी, आधार कार्ड की प्रति, राशन कार्ड की प्रति, पहचान पत्र की प्रति, स्कूल प्रमाण पत्र की प्रति व दो गवाहों के ब्यान भी प्रस्तुत किए हैं।

अतः सर्वसाधारण को इस ईशतहार के द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष/सम्बन्धियों को शम्मी कुमार पुत्र श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री दीनानाथ के नाम की दुरुस्ती को उपरोक्त उप महाल के राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन दिनांक 30-03-2017 को अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। इसके पश्चात् कोई भी उजर व एतराज समायत न होगा और नियमानुसार उक्त नाम की राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती सम्बन्धी आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 20-02-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

वेद प्रकाश,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
कुल्लू, हि0 प्र0।

ब अदालत श्री मोलक राज गौतम, नायब तहसीलदार/कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील ननखरी, जिला शिमला, हि0 प्र0

जय सिंह पुत्र स्व0 श्री केसर सिंह, निवासी गांव टिककरी, डाकघर देलठ, उप-तहसील ननखरी, जिला शिमला, हि0 प्र0 प्राथी

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी

उनवान मुकद्दमा.—पत्र नाम दरुस्ती बारे।

यह दरखास्त श्रीमती शीला देवी पत्नी श्री जय सिंह, निवासी गांव टिककरी, डाकघर देलठ, उप-तहसील ननखरी, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि उसके पति जय सिंह के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में रघुवीर गलत दर्ज है। जबकि जय सिंह के पिता का नाम केसर सिंह सही है पुष्टि हेतु छायाप्रति अंक तालिका 8वीं, आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल की प्रति संलग्न किया है। आवेदन पत्र व छानबीन मौका रिपोर्ट के अनुसार जय सिंह के पिता को सभी केसर सिंह के नाम से जानते हैं दरुस्ती हेतु राजस्व रिकार्ड में रघुवीर पुत्र कपूर सिंह के बजाए केसर सिंह पुत्र कपूर सिंह सही नाम दर्ज करवाना चाहता है जिस बारे जय सिंह ने स्वयं अदालत हजा में आकर अपने ब्यान दिये हैं।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को या जय सिंह को नाम दरुस्ती बारे कोई आपत्ति हो तो दिनांक 20-03-2017 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दरुस्ती बारा सम्बन्धित गिरदावर हल्का को राजस्व कागजात में अमलद्रामद हेतु आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 07-02-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

मोलक राज गौतम,
नायब तहसीलदार/सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री मोलक राज गौतम, नायब तहसीलदार/कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील ननखरी, जिला शिमला, हि0 प्र0

ओम प्रकाश पुत्र स्व0 श्री धनी राम, गांव दनेवटी, डा0 दनावली, उप-तहसील ननखरी, जिला शिमला, हि0 प्र0 प्राथी

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी

उनवान मुकद्दमा.—पत्र नाम दरुस्ती बारे।

यह दरखास्त श्री ओम प्रकाश पुत्र स्व0 श्री धनी राम, निवासी गांव दनेवटी, डा0 दनावली, उप-तहसील ननखरी, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि उसका नाम राजस्व रिकार्ड के महाल दनेवटी, चेबडी व मोहली के राजस्व रिकार्ड में प्रकाश चन्द पुत्र श्री धनी राम गलत दर्ज है प्राथी जिसे ओम प्रकाश पुत्र स्व0 श्री धनी राम दरुस्त करवाना चाहता है पुष्टि हेतु नकल जमाबन्दी सम्बन्धित महाल व विद्यालय त्याग प्रमाण पत्र ब्यान हलफिया स्वयं सत्यापित कर नाम दरुस्ती बारा अदालत हजा में हाजर आकर अपने ब्यान दिये हैं।

अतः इस ईशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को या ओम प्रकाश को नाम दुरुस्ती बारे कोई आपत्ति हो तो दिनांक 20-03-2017 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/ऐतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती बारा सम्बन्धित गिरदावर हल्का को राजस्व कागजात में अमलद्रामद हेतु आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 18-02-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

मोलक राज गौतम,
नायब तहसीलदार/सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

**ब अदालत श्री मोलक राज गौतम, नायब तहसीलदार/कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील
ननखरी, जिला शिमला, हि0 प्र0**

विजय राज पत्नी श्री अजय ठाकूर, निवासी मुन्दर, डा0 कुंगल बाल्टी, उप-तहसील ननखरी, जिला शिमला, हि0 प्र0 प्रार्थीया

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी

उनवान मुकद्दमा.—प्रार्थना पत्र नाम दुरुस्ती ग्राम पंचायत कुंगलबालटी, उप-तहसील ननखरी, जिला शिमला, हि0 प्र0।

विजय राज पत्नी श्री अजय ठाकूर, निवासी मुन्दर, डा0 कुंगलबालटी, उप-तहसील ननखरी, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजार कर अनुरोध किया है कि उसके पुत्र का नाम ग्राम पंचायत कुंगलबालटी के पंचायत रिकार्ड में मुकेश ठाकूर दर्ज है जो कि गलत है और जिसे वह सम्बन्धित पंचायत में मुकेश ठाकूर के बजाए रिधम दुरुस्त करवाना चाहती है जिस बारे शपथ-पत्र स्वयं सत्यापित कर ब्यान किया है।

अतः इस ईशतहार द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती सम्बन्धित ग्राम पंचायत रिकॉर्ड में करने बारा कोई ऐतराज हो तो दिनांक 20-03-2017 को सुबह 10.00 बजे असालतन/वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक ऐतराज पेश करे अन्यथा उजर/ऐतराज पेश न होने की सूरत में यह समझा जाएगा कि उक्त नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई ऐतराज नहीं है तथा सम्बन्धित सचिव ग्राम पंचायत कुंगलबालटी को नाम दुरुस्त करने का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 18-02-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

मोलक राज गौतम,
नायब तहसीलदार/कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

**ब अदालत श्री मोलक राज गौतम, नायब तहसीलदार/कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील
ननखरी, जिला शिमला, हि0 प्र0**

राजू पुत्र स्व0 श्री जोबन दास, निवासी गांव सोहां, डा0 बडाच, उप-तहसील ननखरी, जिला शिमला,
हि0 प्र0 प्रार्थी

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी

उनवान मुकद्दमा.—प्रार्थना पत्र नाम दरुस्ती, उप-तहसील ननखरी, जिला शिमला, हि0 प्र0।

राजू पुत्र स्व0 श्री जोबन दास, निवासी सोहां, डा0 बडाच, उप-तहसील ननखरी, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजार कर अनुरोध किया है कि उसका नाम राजस्व कागजात में खाता नं0 17/27 ता 29, चक नावण, पटवार वृत्त देलठ, उप-तहसील ननखरी, जिला शिमला में राजमोहन दर्ज है जो कि गलत है और जिसे वह सम्बन्धित राजस्व मालकागजात में राजमोहन के स्थान पर राजू दरुस्त करवाना चाहता है जिस बारे शपथ-पत्र स्वयं सत्यापित कर ब्यान किया है।

अतः इस ईशतहार द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त नाम दरुस्ती सम्बन्धित राजस्व कागजात में करने बारा कोई ऐतराज हो तो दिनांक 20-03-2017 को सुबह 10.00 बजे असालतन/वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक ऐतराज पेश करे अन्यथा उजर/ऐतराज पेश न होने की सूरत में यह समझा जाएगा कि उक्त नाम दरुस्ती बारे किसी को कोई ऐतराज नहीं है तथा सम्बन्धित गिरदावर हल्का को नाम दरुस्त करने का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 18-02-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर।

मोलक राज गौतम,
नायब तहसीलदार/कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

**ब अदालत श्री मोलक राज गौतम, नायब तहसीलदार/कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील
ननखरी, जिला शिमला, हि0 प्र0**

आशा देवी पुत्री स्व0 श्री मान सुख, निवासी गांव सदोग, डा0 दनावली, उप-तहसील ननखरी, जिला
शिमला, हि0 प्र0 प्रार्थी

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी

उनवान मुकद्दमा.—प्रार्थना-पत्र नाम दरुस्ती, उप-तहसील ननखरी, जिला शिमला, हि0 प्र0।

आशा देवी पुत्री स्व0 श्री मान सुख, गांव सदोग, डा0 दनावली, उप-तहसील ननखरी, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजार कर अनुरोध किया है कि उसका नाम राजस्व कागजात में खाता/खतौनी नं0 14/53, महाल बगलती, पटवार वृत्त बगलती, उप-तहसील ननखरी, जिला शिमला में गुड्डी दर्ज है जो कि गलत है और आवेदिका जिसे सम्बन्धित राजस्व मालकागजात में गुड्डी के स्थान पर गुड्डी उर्फ आशा देवी दरुस्त करवाना चाहती है जिस बारे शपथ-पत्र स्वयं सत्यापित कर नाम दरुस्ती बारा अदालत हजा में हाजर आकर अपने ब्यान दिये है।

अतः इस ईशतहार द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती सम्बन्धित राजस्व कागजात में करने बारा कोई ऐतराज हो तो दिनांक 20-03-2017 को सुबह 10.00 बजे असालतन/वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक ऐतराज पेश करे अन्यथा उजर/ऐतराज पेश न होने की सूरत में यह समझा जाएगा कि उक्त नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई ऐतराज नहीं है तथा सम्बन्धित गिरदावर हल्का को नाम दुरुस्त करने का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 18-02-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

मोलक राज गौतम,
नायब तहसीलदार/कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

**ब अदालत श्री मोलक राज गौतम, नायब तहसीलदार/कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील
ननखरी, जिला शिमला, हि0 प्र0**

सन्नी पुत्र श्री हिरा लाल, निवासी गांव भिवरा, डाकघर जाहू, उप-तहसील ननखरी, जिला शिमला,
हि0 प्र0 प्राथी

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी

उनवान मुकदमा.-प्राथना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम
पंचायत जाहू के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में जन्म तिथि पंजीकृत करने बारा।

सन्नी पुत्र श्री हिरा लाल, निवासी गांव भिवरा, डाकघर जाहू, उप-तहसील ननखरी, जिला शिमला,
हि0 प्र0 ने इस अदालत में एक दरखास्त पेश कर गुजारिश की है कि उसकी जन्म तिथि 11-08-1989 है
जो उसके मुताबिक सही है जिसे उसके पिता द्वारा अज्ञानतावश निश्चित अवधि में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण
रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया। अब आवेदक ग्राम पंचायत के जन्म मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में जन्म तिथि
पंजीकरण करवाना चाहता है। आवेदक ने अपना ब्यान हल्फिया व नकल परिवार ग्राम पंचायत जाहू प्रस्तुत
कर अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत रिकोर्ड में पंजीकरण किया जावे।

अतः इस ईशतहार द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि
किसी को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण का सम्बन्धित ग्राम पंचायत रिकोर्ड में दर्ज करने बारा कोई ऐतराज हो
तो दिनांक 20-03-2017 को सुबह 10.00 बजे असालतन/वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक
ऐतराज पेश करें अन्यथा उजर/ऐतराज पेश न होने की सूरत में यह समझा जाएगा कि उक्त जन्म के
पंजीकरण बारे किसी को कोई ऐतराज नहीं है तथा सम्बन्धित सचिव ग्राम पंचायत जाहू को जन्म तिथि
पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 18-02-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

मोलक राज गौतम,
नायब तहसीलदार/कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

IN THE HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA

RSA No. 3 of 2017 (D)

Tarlok Chand son of Shri Haria Ram, resident of Village Bangoli Nichali, Mauza Mohara, Tehsil Dehra, District Kangra (H.P.) . . *Appellant(s)*.

Versus

Respondent No. 1 Prem Chand son of Shri Moti Ram, resident of Village Bangoli Nichali, Mauza Mohara, Tehsil Dehra, District Kangra (H.P.).

Respondent No. 2 General Public . . *Respondent(s)*.

Regular Second Appeal under section 100 of the Code of Civil Procedure against the judgment and decree dated 08.04.2016 passed by the Learned Additional District Judge-II, Kangra at Dharamshala, Camp at Dehra in RBT Civil Appeal No. 104-G/13/2012, titled as Shri Tarlok Chand versus Shri Prem Chand & anr.

Notice to :

Respondent No. 2 General Public.

Take Notice that Shri Rajender Sharma, on behalf of the appellant has filed an appeal in the above mentioned case under section 100 of the Code of Civil Procedure, and the appeal, has been fixed for hearing on 11th April, 2017 (11.04.2017) at 10.00 A.M. before this Hon'ble Court.

Therefore, Notice is hereby issued for the information of the General Public and interested person(s) of the General Public is/are summoned to appear in this Court on the said date *i.e.* 11th April, 2017 (11.04.2017) at 10.00 A.M. in person or through their duly instructed and authorized Advocate/Pleader, who may be able to answer all material questions relating to this appeal. The interested person(s) of the General Public is/are also required to produce on the aforesaid date all the documents in his/their possession or power upon which he/they may base his/their defence or claim for set off etc.

Take further Notice that in default of appearance on the said date and time the appeal will be heard and decided in his/their absence.

Given under my hand and seal of the Court this 3rd day of March, 2017.

Seal.

Sd/-

*Section Officer (Judicial),
High Court of Himachal Pradesh, Shimla-171 001.*

**In the Court of Shri Gian Sagar Negi, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),
District Shimla (H. P.)**

Shri Jai Parkash Sharma s/o Lt. Shri Deep Ram Sharma, r/o Village Bhoong, P.O. Rouri, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

General Public

. . Respondent.

Whereas Shri Jai Parkash Sharma s/o Lt. Shri Deep Ram Sharma, r/o Village Bhoong, P.O. Rouri, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application along with affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the date of birth of his daughter named—Ms. Rajni Sharma d/o Shri Jai Parkash Sharma s/o Lt. Shri Deep Ram Sharma, r/o Village Bhoong, P.O. Rouri, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Secy., Birth and Death, Gram Panchayat Neri, Shimla.

Sl. No.	Name of the family member	Relation	Date of Birth
1.	Ms. Rajni Sharma	Daughter	18-09-1976

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entry of the name & date of birth of above named in the record of Gram Panchayat Neri, Shimla may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 02-03-2017 under my signature and seal of the court.

Seal.

GIAN SAGAR NEGI,
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (R), District Shimla.

**In the Court of Shree Ashutosh Garg, Sub Divisional Magistrate Nalagarh,
District Solan (H.P.) exercising the powers of Marriage Officer
under Special Marriage Act, 1954**

Case No. : / 2017

Date of Inst. : 22-02-2017

Pending for : 23-03-2017

Notice u/s 16 of the Special Marriage Act, 1954 inviting the objections of the General Public for registration of marriage.

Notice to the General Public

Whereas, Shri Ram Singh s/o Shri Pritam Singh, r/o V.P.O. Bhud, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.) and Smt. Sarvjeet Kaur d/o Shri Dev & w/o Shri Ram Singh, r/o V.P.O. Bhud, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.) has moved an application u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 for registration of their marriage that was solemnized on 29-01-2017.

And whereas both these applicants have submitted in their application and in their affidavits that they were unmarried at the time of solemnization of their marriage, and were major in age and having no prohibited relations to each other debarring them to marry each other. Both the applicants have requested for registration of their marriage.

Therefore, by this notice the public in General is informed that if any one has any objection regarding registration of this marriage, he may present before this court on or before 23-03-2017 for hearing of objections if any. In case no objection is received by dated 23-03-2017 it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered on the said date.

Given under my hand and seal of the court on 22-02-2017.

Seal.

Sd/-
Marriage Officer (SDM),
Nalagarh.

**In the Court of Shri Ashutosh Garg, IAS, Sub Divisional Magistrate Nalagarh,
District Solan (H.P.) exercising the powers of Marriage Officer
under Special Marriage Act, 1954**

Case No. : / 2017

Date of Inst. : 22-02-2017

Pending for : 23-02-2017

Notice u/s 16 of the Special Marriage Act, 1954 inviting the objections of the General Public for registration of marriage.

Notice to the General Public

Whereas, Shri Devinder Singh s/o Shri Ram Prakash, r/o Village Kohu, P.O. Kohu, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.) and Smt. Madhu Bala d/o Shri Prem Chand & w/o Shri Devinder Singh, r/o Village Kohu, P. O. Kohu, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.) has moved an application u/s 16 of Special Marriage Act, 1954 for registration of their marriage that was solemnized on 01-12-2016.

And whereas both these applicants have submitted in their application and in their affidavits that they were unmarried at the time of solemnization of their marriage, and were major in age and having no prohibited relations to each other debarring them to marry each other. Both the applicants have requested for registration of their marriage.

Therefore, by this notice the public in General is informed that if any one has any objection regarding solemnization of this marriage, he may present before this Court on or before 23-03-2017 for hearing of objections if any. In case no objection is received by dated 23-03-2017, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered on the said date.

Given under my hand and seal of the court on 22-02-2017.

Seal.

Sd/-
Marriage Officer (SDM),
Nalagarh.